युवाओं के लिए यौनिकता शिक्षा

निरंतर शिक्षा श्रृंखला – 1

प्रोजेक्ट टीम : जया शर्मा | ऋतुपर्णा बोराह

डिजाइन : नीलिमा पी आर्यन

ले-आउट : किशोर

मुद्रक : दृष्टिविजन

परोमिता चक्रवर्ती ने जो बहुमूल्य टिप्पणियां दी, उनके लिए विशेष आभार।

प्रकाशक : निरंतर ट्रस्ट

अनुवाद : योगेंद्र दत्त

और प्रतियों के लिए इस पते पर संपर्क करें :

निरंतर, जेन्डर और शिक्षा संदर्भ समूह

बी–64, दूसरी मंजिल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–110017
फोन : (91-11) 2-696-6334
फैक्स : (91-11) 2-651-7726
ई-मेल : nirantar@vsnl.com
वेबसाइट : www.nirantar.net

आप इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं परंतु ऐसा करते हुए स्रोत का उल्लेख अवश्य करें।

क्यों?

कैसी?

किस तरह?

युवाओं के लिए यौनिकता शिक्षा

यह दस्तावेज़ युवाओं के लिए यौनिकता शिक्षा के महत्वपूर्ण और फौरी मुद्दे को उठाता है। इसमें यौनिकता शिक्षा की ज़रूरत, किशोरावस्था शिक्षा के प्रति मौजूदा रवैये और इस मुद्दे पर सक्रिय विभिन्न लोगों और संगठनों की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। इस दस्तावेज़ की तैयारी और समन्वय का काम निरंतर, जेंडर और शिक्षा संदर्भ समूह, नई दिल्ली ने किया है। इस दस्तावेज़ की तैयारी में निम्नलिखित का योगदान उल्लेखनीय है :

अखिल कात्याल
निगाह, क्वीअर कलेक्टिव

अनु गुप्ता
एकलव्य, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड इनोवेटिव एक्शन

अनुजा गुप्ता
राही फाउंडेशन, कोटुम्बिक व्यभिचार/बाल यौन उत्पीड़न की शिकार हो चुकी महिलाओं के लिए एक सहायता केंद्र

अर्पिता दास
दि साउथ एण्ड साउथ–ईस्ट एशिया रिसोर्स सेंटर ऑन सेक्शुअलिटी

आरती मलिक
लॉयर्स कलेक्टिव, एचआईवी/एड्स यूनिट

चैतन्य लक्किमसेटी
शोधकर्ता, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय

चेतना
सेंटर फॉर हैल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रीशन एण्ड अवेयरनेस

दीप्ति पी मेहरोत्रा
शिक्षक प्रशिक्षक, दिल्ली विश्वविद्यालय

जशोधरा दास गुप्ता
सहयोग एण्ड यूथ फॉर चेंज

नंदिनी मंजरेकर
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस

परोमिता चक्रवती
महिला अध्ययन विभाग, जाधवपुर विश्वविद्यालय

राजर्षी चक्रवर्ती
स्वीकृति, लेस्बियन, गे, बाई-सेक्शुअल, ट्रांसजेंडर लोगों की सहायता करने वाला समूह

रेणु अधलखा
सेंटर फॉर वीमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज़

युवा
यूथ फॉर यूनिटी एण्ड वॉलंटरी एक्शन

विद्या रेड्डी
तुलीर : सेंटर फॉर दि प्रिवेंशन एण्ड हीलिंग ऑफ सेक्शुअल एब्यूज़

यह प्रकाशन निरंतर द्वारा दिसंबर 2007, नई दिल्ली में आयोजित किए गए युवाओं हेतु यौनिकता शिक्षा राष्ट्रीय परामर्श में पेश की गई प्रस्तुतियों और चर्चाओं पर आधारित है। इस परामर्श बैठक के सहभागी थे :

अखिल कात्याल, निगाह, नई दिल्ली | अलका प्रजापति, सहज शिशु मिलाप, गुजरात | अनु गुप्ता, एकलव्य, मध्य प्रदेश | अनुजा गुप्ता, राही फाउंडेशन, नई दिल्ली | अर्पिता दास, तारशी, नई दिल्ली | आरती मलिक, लॉयर्स कलेक्टिव, नई दिल्ली | आर्यकृष्णन रामाकृष्णन, स्वतंत्र शोधकर्ता, नई दिल्ली | चैतन्य लक्किमसेटी, शोधकर्ता, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, अमेरिका| चांदनी मलिक, पॉपुलेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली | देवयानी घोष, यूथ अलायंस, नई दिल्ली | दीप्ति पी मेहरोत्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय | दिनेश वांकेर, सहज शिशु मिलाप, गुजरात | दिव्या जैन, बोध शिक्षा समिति, राजस्थान | गुंजन शर्मा, तारशी, नई दिल्ली | इरफान अहमद, शोधकर्ता, नई दिल्ली | जशोधरा दास गुप्ता, सहयोग, उत्तर प्रदेश | जया शर्मा, निरंतर, नई दिल्ली | जया श्रीवास्तव, शिक्षाविद, नई दिल्ली | नंदिनी मंजरेकर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेंज़, महाराष्ट्र | निवेदिता मेनन, प्रोफ़ेसर, नई दिल्ली | परोमिता चक्रवती, जाधवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल | पूशाली मजूमदार, चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी), नई दिल्ली | राजर्षी चक्रवर्ती, स्वीकृति सोसायटी, पश्चिम बंगाल | ऋतुपर्णा बोराह, निरंतर, नई दिल्ली | ऋतु व्यास, एकलव्य, मध्य प्रदेश | सुनीता कुजूर, क्रिया, नई दिल्ली | तपस कुमार डे, स्कूल प्रधानाचार्य, पश्चिम बंगाल | त्रीसा जोसेफ, युवा, महाराष्ट्र | उमा चक्रवर्ती, महिलावादी इतिहासकार, नई दिल्ली | विद्या रेड्डी, तुलीर : सेंटर फॉर दि प्रिवेंशन एण्ड हीलिंग ऑफ सेक्शुअल एब्यूज़, तमिलनाडु | विजय कुमार, दाउद मेमोरियल, उत्तर प्रदेश।

विषय-सूची

भूमिका 5

भाग एक :

यौनिकता शिक्षा की आवश्यकता 11

1.1 यौनिकता शिक्षा या यौन शिक्षा 11

1.2 यौनिकता शिक्षा किसके लिए 12

1.3 ज़मीनी हकीकत 13

1.4 युवाओं की आवाज़ें 16

1.5 यौनिकता शिक्षा से जुड़े भ्रम और डर 17

1.6 अधिकारों को साकार करने में यौनिकता शिक्षा की भूमिका 21

भाग दो :

जनसंख्या शिक्षा से किशोरावस्था शिक्षा तक : एक संक्षिप्त ब्यौरा 31

भाग तीन :

मौजूदा चुनौतियां : किशोरावस्था शिक्षा सामग्रियों की समीक्षा के आधार पर 37

3.1 सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई सामग्रियों की समीक्षा 37

3.2 अन्य चुनिंदा किशोरावस्था शिक्षा/यौनिकता शिक्षा सामग्रियों की समीक्षा 55

भाग चार :

सशक्तीकरण करने वाली यौनिकता शिक्षा की ओर 61

4.1 यौनिकता शिक्षा के नज़रिए से जुड़ी मुख्य सिफारिशें 61

4.2 क्रियान्वयन से संबंधित मुख्य सिफारिशें 64

परिशिष्ट 69

भूमिका

क्या यौनिकता को युवाओं की शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए?जो लोग पाठ्यक्रम में यौनिकता को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं उनके तर्क क्या हैं?जो लोग मानते हैं कि यौनिकता भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए वे क्या दलील देते हैं?यदि यौनिकता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो ऐसी शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए?यौनिकता को संबोधित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में और कौन से बदलावों की ज़रूरत है?

बेशक ये सारे अहम सवाल हैं लेकिन सार्वजनिक स्तर पर इनमें से केवल एक को ही पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। हमने केवल उन लोगों की बातें सुनी हैं जो यौन शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनकी दलीलें खासतौर से 12 राज्यों के स्कूलों में यौन शिक्षा पर 2007 में लगाई गई पाबंदी के संदर्भ में सुनाई देती रही हैं। प्रस्तुत दस्तावेज़ में यौनिकता शिक्षा से संबंधित बाकी फौरी मुद्दों पर बहस छेड़ने का प्रयास किया गया है। इसमें युवाओं के लिए यौनिकता शिक्षा के मुद्दे पर सक्रिय विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों और सुझावों को सामने रखा गया है। हम लोग बच्चों के बीच काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों, युवा संगठनों, बाल यौन उत्पीड़न पर काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, महिला अध्ययन विभागों, शिक्षाविदों, शोधकर्त्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों, विकलांगता से जुड़े मुद्दों पर कार्यरत एक्टिविस्ट और यौन पसंद–नापसंद एवं जेंडर पहचानों के आधार पर उपेक्षित लोगों के अधिकारों सहित यौन अधिकारों पर कार्यरत संगठनों के सदस्य हैं।

यौनिकता को युवाओं की शिक्षा का हिस्सा क्यों होना चाहिए? हमारा मानना है कि यौनिकता शिक्षा पाना युवाओं का एक अधिकार है जो उनसे नहीं छीना जा सकता। यौनिकता हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर शिक्षा का ताल्लुक अपने जीवन के हालात को विवेचनात्मक ढंग से समझने से है तो यौनिकता भी लाज़िमी तौर पर शिक्षा का हिस्सा होनी चाहिए। यौनिकता शिक्षा की ज़रूरत भी युवाओं की ज़िंदगी के मौजूदा यथार्थ से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि हमारे देश में युवा हमारी मान्यता के मुकाबले कहीं ज़्यादा यौन सक्रिय हैं। परंतु इसके बावजूद, उनके भीतर सेक्स और यौनिकता से जुड़े मुद्दों के बारे में शर्मिंदगी, भय और अज्ञानता का अहसास बहुत गहरा है। किशोर–किशोरियों को इस बारे में परस्पर विरोधी बातें सुनने को मिलती हैं कि उन्हें यौन मामलों तथा अन्य मामलों में किन चीज़ों की कामना करनी चाहिए और किस तरह का आचरण करना चाहिए। बढ़ती उम्र में उनके पास यौनिकता के बारे में ढेरों सवाल, असंख्य भ्रम और न जाने कितनी गलतफहमियां होती हैं लेकिन उन्हें कभी इनका जवाब नहीं मिलता क्योंकि यौनिकता के बारे में सटीक जानकारी के स्रोत बहुत कम हैं। इससे युवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। उन्हें अपनी देह के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने में मदद नहीं मिलती। यौनिकता के प्रति शर्मिंदगी और भय को दूर न कर पाने का नतीजा यह होता है कि युवा अपनी इच्छाओं के हनन को पहचान नहीं पाते, वे अनचाहे यौन व्यवहार को रोकने के लिए दृढ़तापूर्वक 'नहीं' कह पाने में चूक जाते हैं और यहां तक कि यौन उत्पीड़न के भी शिकार

होते हैं। एक गंभीर दुष्परिणाम यह होता है कि जो युवा जेंडर और यौनिकता के संबंध में तय सामाजिक कायदे–क़ानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है।

युवाओं को यौनिकता के बारे में सीखने के अवसर प्रदान करने की दिशा में अब तक जो कोशिशें हुई हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं रही हैं। देश के कई राज्यों में यौन शिक्षा पर लगी पाबंदी के सिलसिले में चली बहस भी केवल इस बात पर ही केंद्रित रही है कि यौन शिक्षा की सामग्री और खासतौर से उसमें इस्तेमाल की जा रही तस्वीरें 'बहुत ज़्यादा बेबाक' हैं। परंतु कई दूसरी महत्वपूर्ण आलोचनाएं सामने आ ही नहीं पाई हैं। मौजूदा सामग्री और प्रतिबंधित सामग्री का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि उसका स्वरूप एचआईवी और एड्स की रोकथाम के संकुचित उद्देश्य से निर्धारित हो रहा है। इस सामग्री की अंतर्वस्तु और पद्धति, दोनों ही इस उपकरणवादी सोच से ग्रस्त हैं।

जिसे किशोरावस्था शिक्षा या जीवन कौशल शिक्षा कहा जाता है, उसमें 'अच्छे किशोर/किशोरी' को परिभाषित करने का जो प्रयास किया गया है उसे देखकर गहरी चिंता पैदा होती है। इसके मुताबिक, अच्छे किशोर/किशोरी वे होते हैं जो अनुशासनबद्ध हैं, जो उन चीज़ों को यथावत स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें 'बदला नहीं जा सकता', जो जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखते हैं। (सोने से पहले रोचक किताबें नहीं पढ़ने से लेकर अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने तक) बच्चों को विश्लेषण की क्षमता, अपने अधिकारों की पहचान तथा औरों के अधिकारों को सम्मान देने की क्षमता प्रदान करने की बजाय यह सामग्री 'सही' और 'गलत' के बारे में नैतिक उपदेश देती ज़्यादा प्रतीत होती है। इस तरह की सामग्री यह भी तय करने लगती है कि 'सामान्य' और 'स्वाभाविक' क्या होता है। इसमें शरीर का मतलब लगभग हमेशा सर्वगुण सम्पन्न शरीर होता है (विकलांग नहीं)। इसमें 'विपरीत लिंग' के प्रति यौन इच्छा को न केवल स्वाभाविक बल्कि अनिवार्य दर्शाया जाता है। यह सामग्री इस मान्यता पर आधारित है कि लड़के हमेशा खुद को पुरुष और लड़कियां खुद को हमेशा स्त्री के रूप में ही देखती

यौनिकता शिक्षा से युवाओं को निम्नलिखित क्षमता प्राप्त होनी चाहिए :

- वे जिन बदलावों से गुजर रहे हैं उन्हें समझ सकें और उन बदलावों से संबंधित भय और तनावों से उबर सकें।
- अपने अधिकारों और उनकी रक्षा के प्रति सचेत हों।
- वे अपने हितों तथा औरों के अधिकारों की पहचान के आधार पर फ़ैसले लेने तथा औरों के साथ अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संवाद करने में सक्षम हों। वे यौन उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव को समझें और इन घटनाओं के बारे में चुप्पी तोड़ सकें।
- स्वस्थ्य रह सकें और खुद को बीमारियों व संक्रमणों से बचा सकें।
- अपनी देह और यौनिकता के बारे में शर्म के अहसास से लड़ सकें ताकि आत्मविश्वास और अपने बारे में सकारात्मक महसूस करें।

हैं। जेंडर के नाम पर यह सामग्री केवल 'सफल' महिलाओं की प्रशंसा और परस्पर सम्मान की ज़रूरत का उल्लेख करती है लेकिन बच्चों को जेंडर असमानता के स्वरूप तथा उसकी वजहों को समझने में कतई मदद नहीं करती।

मौजूदा सामग्री में निहित इन भारी समस्याओं के बावजूद इस सामग्री पर पाबंदी लगा देना भी कोई आदर्श समाधान नहीं है। ऐसी सामग्री को चुपचाप स्वीकार कर लेना या उस पर पाबंदी लगा देना, केवल इन्हीं दोनों विकल्पों में फंस कर रह जाना खतरनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि यौनिकता शिक्षा की दृष्टि और नज़रिए की स्पष्ट व्याख्या की जाए। इसके लिए एक ऐसी समझदारी विकसित करना ज़रूरी है जो बच्चों की ज़रूरतों पर केंद्रित हो। यौनिकता शिक्षा तथ्यपरक, गैर–उपदेशात्मक और गैर–निर्णयकारी होनी चाहिए। जेंडर, जाति, विकलांगता, वर्ग और यौन रुझानों जैसे विभिन्न आयामों को संबोधित करते हुए यौनिकता शिक्षा की दृष्टि न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए। युवाओं की यौनिकता शिक्षा सामग्री इन बातों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जानी चाहिए।

शायद यह काम उतना चुनौती भरा है नहीं जितना दिखाई देता है। कम से कम जेंडर के मामले में तो अब हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां शिक्षा व्यवस्था में जेंडर के महत्व को स्वीकार किया जाने लगा है। इस सिलसिले में समालोचना की प्रक्रिया और उन समालोचनाओं पर सकारात्मक बहस भी शुरू हो चुकी है। यदि जेंडर और यौनिकता के आपसी संबंधों को पहचान व मान्यता दी जाए तो यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थानबिंदु हो सकता है।

इस दस्तावेज़ के माध्यम से हम युवाओं के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में यौनिकता शिक्षा के समावेश के पक्ष में अपनी बात कहना चाहते हैं। इस किताब में जनसंख्या शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा के विमर्श से उपजी किशोरावस्था शिक्षा के विकास का विश्लेषण करने के बाद हमने मौजूदा पाठ्यक्रमों की सीमाओं को समझने का प्रयास किया है। तत्पश्चात हमने इस बारे में सुझाव दिए हैं कि यौनिकता शिक्षा को युवाओं की ज़रूरतों और जीवन परिस्थितियों के प्रति और संवेदनशील कैसे बनाया जा सकता है।

यह दस्तावेज़ निरंतर शिक्षा श्रृंखला का पहला दस्तावेज़ है। इस श्रृंखला में शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। मुख्य ज़ोर शिक्षा के उन आयामों पर रहेगा जो समकालीन, प्रासंगिक या प्रायः हाशिये पर रहे हैं।

भाग एक

यौनिकता शिक्षा की आवश्यकता

यौनिकता शिक्षा की आवश्यकता

1.1 | यौनिकता शिक्षा या यौन शिक्षा

सूचनाओं का आदान–प्रदान करना, विशेष निपुणताएं सीखना और सिखाना शिक्षा के दायरे में आता है। इनके अलावा भी कई सूक्ष्म परंतु बेहद गंभीर सवाल शिक्षा के दायरे में आते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानना और जीवन के अनुभवों के प्रति विवेचनात्मक समझदारी और सोच विकसित करना, ये सभी बेहद महत्वपूर्ण शिक्षा के बिन्दु हैं। यौनिकता शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से इसलिए शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यौनिकता सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह एक ऐसा आयाम है जो किशोरावस्था के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों ढंग से सामने आता है।

यौनिकता की परिधि में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तीनों तरह के आयाम होते हैं। लिहाज़ा, हमें 'यौन शिक्षा' को छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह ये नहीं है कि हम सेक्स या यौन शब्द की बजाय कोई और

यौन शिक्षा से यौनिकता शिक्षा की ओर

सेक्स और यौन शिक्षा

सेक्स शब्द को अकसर 'यौन गतिविधियों' के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण, यौन शिक्षा को भी अकसर मानव प्रजनन/जननांगों की बनावट एवं यौन गतिविधियों की शिक्षा के रूप में देखा जाने लगता है। इसमें सामाजिक पहलुओं की बजाय शारीरिक पहलुओं पर ज़्यादा ज़ोर रहता है।

यौनिकता और यौनिकता शिक्षा

यौनिकता और यौनिकता शिक्षा इससे काफी जटिल अवधारणाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यौनिकता को इस प्रकार परिभाषित किया है :

"यौनिकता मनुष्य होने का एक केंद्रीय आयाम है जो पूरे जीवन भर मौजूद रहता है। सेक्स, जेंडर आधारित पहचान व भूमिकाएं, यौन रुझान, कामुकता, आनंद, अंतरंगता व प्रजनन आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यौनिकता को विचारों, कल्पनाओं, कामनाओं, विश्वासों, रवैयों, मूल्यों, व्यवहारों, तौर–तरीकों, भूमिकाओं और संबंधों में अनुभव और अभिव्यक्त किया जाता है। यद्यपि ये सभी आयाम यौनिकता का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन इन सभी को हमेशा अनुभव या अभिव्यक्त नहीं किया जाता है। यौनिकता भी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, क़ानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक कारकों से प्रभावित होती है।"[1]

इस आधार पर यौनिकता शिक्षा दरअसल देह और मस्तिष्क, यौनिकता के शारीरिक और सामाजिक आयामों, तथा स्वयं अपने और अपने संबंधों के बारे में जानकारियां हासिल करने, एक विवेचनात्मक समझदारी विकसित करने और रवैये गढ़ने की प्रक्रिया होती है।

1. डब्ल्यूएचओ ड्राफ्ट वर्किंग डेफिनिशन, 2002, http://www.who.int/reproductive-health/gender/glossary.html

शब्द अपनाना चाहते हैं या इन शब्दों के बारे में बात करने में हिचकिचा रहे हैं। जी नहीं, बल्कि हम ऐसे बेहतर संबोधन चाहते हैं जो शिक्षा में बहुत सारे दूसरे मुद्दों को भी प्रतिबिंबित कर सकें।

1.2 | यौनिकता शिक्षा किसके लिए

इस सवाल को उठाना भी ज़रूरी है कि यौनिकता शिक्षा किसके लिए होनी चाहिए। यहां सबसे पहले उम्र का सवाल आता है। हमारे विचार में महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि 'बच्चे की उम्र क्या हो'। बल्कि, हमारा मानना है कि शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी असली सवाल यही होना चाहिए कि बचपन से किशोरावस्था तक शैक्षणिक विषयवस्तु और पद्धति विद्यार्थियों की उम्र के अनुरूप हों। हमारी हिचक और बेचैनियां चाहे कुछ भी हों, सच यही है कि और कुछ न भी सही तो कम से कम बाल यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं तो हमें इस बात की ओर इशारा कर ही रही हैं कि हमेशा 'सही उम्र' का इंतज़ार करते रहना ठीक नहीं है।

हम किन युवाओं की बात कर रहे हैं, इस सवाल पर विचार करने से पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि यौनिकता शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल जाने वाले बच्चों का ही नहीं है। वास्तव में हमें ऐसी रचनात्मक रणनीतियां विकसित करनी होंगी जिनके ज़रिए हम उन बच्चों/युवाओं तक भी पहुंच सकें जिन्हें या तो स्कूल जाने के अवसर नहीं मिले हैं या जिन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लिहाज़ा, इस दस्तावेज़ में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारा आशय स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है।

यदि युवाओं को यौनिकता शिक्षा देनी है तो हमें शिक्षकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें शिक्षकों और उन सभी लोगों पर विचार करना चाहिए जो युवाओं को यौनिकता शिक्षा देने वाले हैं। हमें मालूम है कि वयस्कों का भी एक खास ढंग से सामाजीकरण होता है। इस प्रक्रिया में उन्हें यौनिकता के मुद्दों पर युवाओं/बच्चों के साथ बात करने के लिए काफी सारी चीज़ें सीखनी और भुलानी भी होंगी। शर्मिंदगी का अहसास, अधूरी या गलत जानकारी, 'शिक्षक–विद्यार्थी' या 'वयस्क–बच्चा' संबंधों को ठेस पहुंचने का भय, यौनिकता के मुद्दों को समझने के लिए उचित फ्रेमवर्क का अभाव तथा पूर्वाग्रह आदि ऐसे आयाम हैं जिन पर यौनिकता शिक्षा देने से पहले पूरी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

1.3 | ज़मीनी हकीकत

आज यौनिकता शिक्षा की ज़रूरत एक ऐसे संदर्भ में व्यक्त हो रही है जहां यौनिकता के मुद्दे प्रायः शर्मिंदगी और लज्जा के आवरण में लिपटे हुए हैं। यौनिकता शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि युवा अपने शरीर के बारे में सहज महसूस करें। उदाहरण के लिए उन्हें ये संदेश मिले कि उनके जननांग भी शरीर का वैसा ही स्वाभाविक हिस्सा हैं जिस तरह कि शरीर के अन्य भाग होते हैं, इसलिए उनके बारे में उन्हें शर्मिन्दा होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को इस बात का अहसास कराया जाना चाहिए कि वे अपने शरीर के बारे में सकारात्मक व सशक्त महसूस करें। अगर शर्मिंदगी और भय से छुटकारा पा लिया जाए तो वे इस बात को भी समझने लगेंगे कि कहां उनकी इच्छा का हनन या उनका उत्पीड़न हो रहा है। इस आधार पर वे अनचाहे यौन व्यवहारों और यौन उत्पीड़न का विरोध कर पाएंगे। जहां शर्मिंदगी के इस अहसास का इस्तेमाल लड़कियों और युवतियों को धमकाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जहां शर्मिंदगी उन्हें 'महिलाओं के लिए सही' मूल्य–मान्यताओं का पालन करने के लिए बाध्य करने का साधन होती है वहां तो शर्म के इस भाव को खत्म करना और भी ज़रूरी हो जाता है।

बाल यौन उत्पीड़न एवं यौनिकता शिक्षा

तुलीर सेंटर फॉर दि प्रिवेंशन एण्ड हीलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज़ में काम करते हुए हमने ऐसे कई अभिभावक और शिक्षक देखे हैं जो अपने बच्चों और विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न से तो बचाना चाहते हैं लेकिन उनसे जननांगों की चर्चा जैसे साधारण काम भी नहीं करना चाहते। यही ख़ामोशी उत्पीड़कों को ताकत देती है। वे इसका जमकर फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि इस बारे में बच्चे किसी से कुछ नहीं कहेंगे और अगर वे मुंह खोलेंगे भी तो उन्हें वयस्कों द्वारा चुप करा दिया जाएगा। बाल यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए ज़रूरी है कि यौनिकता के मुद्दे पर पड़ा खामोशी का यह पर्दा हटाया जाए।

अलंकार शर्मा एवं विद्या रेड्डी, तुलीर, चेन्नई

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2007 में यौन उत्पीड़न के बारे में एक राष्ट्रीय अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में 13 राज्यों के 12,447 बच्चों से बात की गई थी जिनमें से 53.22 प्रतिशत बच्चों ने बहुत गंभीर या अन्य प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना किया था। यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाले बच्चों में से 52.94 प्रतिशत लड़के और 47.06 प्रतिशत लड़कियां थीं। उत्पीड़न के शिकार लगभग 70 प्रतिशत बच्चों ने इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था।[2]

यौनिकता शिक्षा देने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि युवा काफी हद तक यौन सक्रिय हैं। हमारे देश की आबादी अधिकांशतः ग्रामीण है और ग्रामीण भारत में कम उम्र में शादी एक सामान्य बात है, इसलिए युवाओं की यौन सक्रियता के बारे में हमें सबूत ढूंढ़ने की ज़रूरत नहीं है।

2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बाल उत्पीड़न पर अध्ययन। http://www.wcd.nic.in/childabuse.pdf 2007

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण II एवं III : कुछ तथ्य

- **विवाह की उम्र**
  20–49 साल की भारतीय महिलाओं में से एक–चौथाई से भी ज़्यादा (27 प्रतिशत) का विवाह 15 साल से कम उम्र में हो चुका था। आधी से ज़्यादा महिलाओं (58 प्रतिशत) का विवाह 18 साल की क़ानूनी उम्र से पहले और तीन–चौथाई (74 प्रतिशत) महिलाओं का विवाह 20 साल की उम्र से पहले हो चुका था।[3]
- **युवावस्था में यौनिक सक्रियता**
  25–49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में से 20 प्रतिशत महिलाएं 15 साल की उम्र से पहले और 55 प्रतिशत महिलाएं 18 साल की उम्र से पहले संभोग कर चुकी थीं।[4]
- **किशोर उम्र में गर्भधारण**
  मोटे तौर पर 15–19 साल की 6 में से एक लड़की बच्चों को जन्म देना शुरू कर देती है।[5]
- **एचआईवी और एड्स**
  भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में से 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा 15–24 साल की उम्र के युवाओं में पाए गए हैं।[6]
  तमाम अभियानों के बावजूद, भारत की 60 प्रतिशत महिलाओं ने आज तक एचआईवी और एड्स का नाम नहीं सुना है।[7]

जहां युवा न केवल यौनिक रूप से सक्रिय हैं बल्कि यौन उत्पीड़न का सामना करते हैं, एचआईवी और यौन संक्रामक बीमारियों का शिकार बनते हैं और लड़कियां किशोरावस्था में ही मां बनने लगती हैं, वहां उन्हें यौनिकता संबंधी जानकारियों से वंचित रखना कहां तक सही है?

आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि ज़्यादातर स्कूल अकसर बच्चों को सेक्स और यौनिकता के बारे में सीमित शारीरिक जानकारियां भी नहीं दे पाते हैं। हममें से बहुतों को याद होगा कि जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ाते हुए हमारे अध्यापक/अध्यापिकाएं मानव प्रजनन वाला भाग पढ़ाने में कितना हिचकिचाते थे। ज़्यादातर स्कूली विद्यार्थियों का आज भी यही अनुभव है। ले–देकर महानगरों के तुलनात्मक रूप से बड़े स्कूलों में ही स्थितियां थोड़ी–बहुत सुधरी हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके पास तो जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पन्ने भी नहीं होते। सूचना का दूसरा संभावित स्रोत हमारे अभिभावक हो सकते हैं लेकिन वे भी इन सवालों पर बेहद असहज महसूस करते हैं। ज्यादातर मां–बाप यौनिकता के बारे में बच्चों से बात करना ही सही नहीं मानते। लिहाज़ा, नतीजा यह होता है कि बच्चे अपने संगी–साथियों या फिल्मों या गीतों और शहरों में इंटरनेट या अन्य साधनों से उपलब्ध पॉर्नोग्राफी के ज़रिए ही जानकारियां हासिल करते हैं। इनमें भी लड़कियों के मुकाबले लड़कों के पास सूचनाओं तक ज़्यादा पहुंच होती है।

ज़ाहिर है इन स्रोतों से शायद सटीक जानकारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये साधन न्याय और समता पर आधारित जेंडर और यौन आचरण के विचार प्रेषित करने के लिए नहीं बने हैं। यदि हम ये मान लेते हैं कि बच्चों को भी सूचना का अधिकार होता है; उन्हें भी यौनिकता के बारे में अधिकारपूर्वक सटीक जानकारी पाने का अधिकार होता है तो शिक्षा को इस अधिकार को साकार करना होगा।

तारशी (टॉकिंग अबाउट सेक्शुएलिटी ऐण्ड रीप्रोडक्टिव हैल्थ इन्फॉर्मेशन) हेल्पलाइन के शुरुआती नतीजों पर आधारित रिपोर्ट 'टॉकिंग अबाउट सेक्शुएलिटी'[8] से पता चलता है कि सेक्स और यौनिकता के बारे में सूचनाओं की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है।[8]

तारशी टेलीफोन हेल्पलाइन पर यौनिकता, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, सलाह और रेफरल दिए जाते हैं। इस हेल्पलाइन पर 14 फरवरी 1996 से 10 अक्तूबर 2007 के बीच 57,000 से ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड की गई हैं।

इस हेल्पलाइन पर आयी कॉल्स के अनुसार यौनिकता से संबंधित सबसे व्यापक **गलतफहमियां** और भ्रम इस प्रकार रहे हैं :

■ स्वप्नदोष कमज़ोरी/बीमारी की निशानी है जिसका इलाज कराया जाना चाहिए। ■ कॉन्डोम से आनंद कम हो जाता है। ■ कॉन्डोम सिर्फ उनके लिए हैं जो गर्भधारण से बचना चाहते हैं। ■ हस्तमैथुन हानिकारक होता है – इससे कमज़ोरी, फुंसियां, आंखों के नीचे काले धब्बे, नपुंसकता और यौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ■ महिलाएं हस्तमैथुन नहीं करतीं। ■ कुंआरी लड़की से संभोग यौन संक्रामक बीमारियों और एड्स का ईलाज है। ■ यदि योनिच्छद हाइमन सुरक्षित है तो इसका मतलब है कि लड़की कुंआरी है/अगर 'सुहागरात' में खून नहीं बहता है तो इसका मतलब है कि लड़की कुंआरी नहीं है। पति जब भी चाहे तब उसके साथ सेक्स करना औरत की ज़िम्मेदारी है। ■ मुखमैथुन से गर्भ ठहर सकता है (यदि वीर्य को निगल लिया जाए)। ■ गुदा मैथुन से गर्भधारण नहीं हो सकता – गुदा मैथुन सुरक्षित संभोग होता है। ■ दवाइयों से शीघ्रपतन (प्रीमैच्योर इजाक्यूलेशन) का 'इलाज' किया जा सकता है। ■ योनि–लिंग संभोग ही 'असली' सेक्स होता है। ■ दो पुरुषों के बीच सेक्स वास्तव में सेक्स नहीं बल्कि सिर्फ 'मस्ती' होती है। ■ मुख मैथुन/गुदा मैथुन को गलत या निषिद्ध माना जाता है। इसके बावजूद यह प्रचलित है जिसके कारण इस बारे में हीनता और शर्मिंदगी का भाव पैदा हो जाता है।

हेल्पलाइन पर आई 42.6 प्रतिशत कॉल 15–24 साल की उम्र वाले लोगों की थीं।

18 साल के एक अंग्रेज़ी भाषी लड़के ने कांउसिलर को फोन करके इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने स्त्री एवं पुरुष जननांगों तथा प्रजनन तंत्र व उसके कार्यों के बारे में उसे महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। वह दिल्ली के एक जाने–माने स्कूल में कक्षा 12 का विज्ञान का विद्यार्थी है।

3. महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, खंड 2, पृष्ठ 212, 2007
4. महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, खंड 2, पृष्ठ 217, 2007
5. महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, खंड 2, पृष्ठ 33, 2007
6. यूनिसेफ इंडिया, राल्फ फिनेस एवं शर्मिला टैगोर ने एचआईवी प्रभावित लोगों के प्रति पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए आह्वान किया। http://www.unicef.org/india/media_2705.htm
7. महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, खंड 2, 2007

8. स्रोत : www.tarshi.net.

1.4 | युवाओं की आवाज़ें

युवाओं को इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि वे यौनिकता शिक्षा चाहते हैं।

अक्तूबर 2007 में हैदराबाद में आयोजित चतुर्थ एशिया प्रशांत प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य व अधिकार सम्मेलन के अवसर पर जारी किया गया प्रेस वक्तव्य।

यौन शिक्षा पर लगे प्रतिबंध के ख़िलाफ़ युवाओं की आवाज़

तत्काल जारी करने हेतु
हैदराबाद, 31 अक्तूबर 2007

चतुर्थ एशिया प्रशांत प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य व अधिकार सम्मेलन में सहभागी युवाओं के तौर पर हम 12 भारतीय राज्य सरकारों द्वारा यौन शिक्षा पर लगाई गई पाबंदी के हालिया फ़ैसले का कड़ा विरोध करते हैं।

यह पाबंदी नाको और यूनिसेफ के साथ मिलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इस्तेमाल की जा रही प्रशिक्षण सामग्री के विरुद्ध है।

यह पाबंदी भारतीय संविधान से हमें मिले सूचना के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का हनन करती है। यह प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र संधियों और घोषणापत्रों के अंतर्गत भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भी उल्लंघन है।

युवाओं को समग्र यौनिकता शिक्षा की आवश्यकता है ताकि वे अपनी देह के बारे में किसी भी तरह के भय, शर्म या हीनताबोध के बिना सोच–समझकर फ़ैसला लेने की क्षमता हासिल कर सकें। यदि युवाओं को सही जानकारी और निपुणता प्रदान की जाए तो वे जोखिम भरी परिस्थितियों का ज़्यादा प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और खुद को हिंसा, एचआईवी तथा मादक पदार्थों के खतरों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से बचा सकते हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संस्कृति या नैतिकता के हवाले से दी जा रही दलीलें सिरे से गलत हैं और युवाओं को उन सूचनाओं व निपुणताओं से वंचित रखने का आधार नहीं हो सकतीं जो युवाओं के लिए न केवल आवश्यक हैं बल्कि उन्हें हासिल करना उनका अधिकार है।

समग्र यौनिकता शिक्षा 'युवा मस्तिष्कों को भ्रष्ट' नहीं करती बल्कि जानकारी के अभाव के कारण ही युवा गलत, अधूरी और हानिकारक सूचनाओं की चपेट में आ जाते हैं।

"जब लड़कियों का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो सकता है, वे पति के साथ संभोग कर सकती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं तो उन्हें सही सूचनाओं से वंचित रखने का ही क्या औचित्य है? इस मामले में पिछली और अगली पीढ़ी के बीच आए फासले को पाटने के लिए बातचीत होनी ही चाहिए।" इशिता चौधरी, यूथ पार्लियामेंट फाउन्डेशन।[9]

"यौनिकता शिक्षा युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हम लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत बनाती है। यह युवाओं के बीच प्रेम के विरुद्ध समाज द्वारा की जा रही हिंसा को खत्म करने में भी मदद देगी।" वेंकट, कमला नगर, धारावी, मुंबई।[10]

9. दिल्ली के स्कूली बच्चों के बीच काम कर रहे लगभग 800 युवाओं का एक संगठन।
10. 'युवा' संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला में सहभागी।

1.5 | यौनिकता शिक्षा से जुड़े भ्रम और डर

यहां हम यौन शिक्षा पर पाबंदी के हिमायतियों द्वारा दी जा रही कुछ दलीलों का जवाब दे रहे हैं।

युवाओं को बहुत कम उम्र में बहुत ही बेबाक जानकारी दी जा रही है

यौनिकता शिक्षा का दायरा यौन क्रियाओं से संबंधित सूचनाओं के मुकाबले काफी व्यापक है। इतना ही नहीं, यदि आयु–अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार की जाए तो इसका एक अर्थ यह होगा कि यौनिकता शिक्षा की विषय–वस्तु, शैली और तस्वीरें विभिन्न आयु समूहों की खास ज़रूरतों और सदंर्भों को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी।

यौन शिक्षा की वजह से बच्चे जल्दी ही यौन गतिविधियों में सक्रिय हो जाएंगे

यह साबित करने वाला कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि यौन शिक्षा की वजह से बच्चों की यौन गतिविधियां बढ़ जाती हैं। बल्कि, कई अध्ययनों ने तो इस बात को सिरे से गलत साबित किया है। उदाहरण के लिए, डब्ल्यूएचओ और वैश्विक एड्स कार्यक्रम द्वारा कराए गए एक अनुसंधान[11] में ऐसे 47 अध्ययनों की समीक्षा की गई थी जिनमें विभिन्न देशों के यौन शिक्षा कार्यक्रमों का आंकलन किया गया था। इस अनुसंधान के अनुसार, 47 में से 17 अध्ययनों में बताया गया था कि यौन शिक्षा की वजह से यौन गतिविधियों की शुरुआत देर से हुई, यौन साथियों की संख्या में कमी आयी तथा अनचाहे गर्भ या यौन संक्रामक बीमारियों में गिरावट आई है। 25 अध्ययनों में बताया गया था कि यौन शिक्षा की वजह से इन संकेतकों पर प्रायः कोई असर नहीं पड़ा।[12] इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस आशय के साक्ष्य पहले ही भारी मात्रा में मौजूद हैं कि कई युवा यौनिक रूप से सक्रिय हैं।

11. सेक्शुएलिटी एजुकेशन एण्ड यंग पीपल्स सेक्शुअल बिहेवियर : अ रिव्यू ऑफ स्टडीज़, जरनल ऑफ एडोलोसेंट रिसर्च, खंड 12, सं. 4, पृष्ठ 421–453, 1997
12. डब्ल्यूएचओ तकनीकी रिपोर्ट सीरिज, प्रिवेंटिंग एचआईवी/एड्स इन यंग पीपल : अ सिस्टेमैटिक रिव्यू ऑफ दि एवीडेंस फ्रॉम डिवेलपिंग कंट्रीज़, सं. 938, 2006 से पता चलता है कि एचआईवी रोकथाम की शिक्षा पर आधारित स्कूली पाठ्यक्रम के फलस्वरूप युवा देर से यौन संबंध बनाते हैं, उनके यौन साथियों की संख्या में कमी आती है, सुरक्षित संभोग और गर्भनिरोधक पद्धतियों के इस्तेमाल में इज़ाफ़ा होता है और ऐसे अन्य सकारात्मक व्यवहार दिखाई देते हैं।

शिक्षक न तो यौनिकता शिक्षा देना चाहते हैं और न ही उनकी तैयारी है

ज़ाहिर है शिक्षकों को भी यौनिकता के बारे में सही जानकारियां और सही नज़रिया देने की ज़रूरत है। उन्हें यौनिकता के मुद्दों पर बात करते हुए सहज महसूस करना चाहिए और उनके पास इन मुद्दों पर युवाओं के साथ बात करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें उचित सहायता और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। परंतु, प्रशिक्षण अवसरों की कमी के आधार पर यौनिकता शिक्षा को पाठ्यक्रम से बाहर रखने की दलील नहीं दी जा सकती। इसका सिर्फ यही मतलब निकलता है कि शिक्षकों के क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण का फौरन इंतजाम किया जाना चाहिए।

अभिभावक भी यौनिकता शिक्षा के विरुद्ध हैं

यौनिकता शिक्षा के प्रति अभिभावकों के विरोध का खतरा महत्वपूर्ण है। इसको पहचानना और इसे रणनैतिक स्तर पर संबोधित किया जाना चाहिए। फिर भी, इतना ज़रूर है कि अभिभावकों की सहमति बच्चों की शैक्षणिक ज़रूरतों को पूरा करने का पैमाना नहीं हो सकती। स्कूली पाठ्यक्रम के किसी भी दूसरे पहलू के लिए अभिभावकों की सहमति की ज़रूरत नहीं मानी जाती। लिहाज़ा, केवल यौनिकता के लिए इस सहमति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अभिभावकों को समझना चाहिए कि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे यौनिकता के मुद्दों से अवगत हो सकते हैं। यह बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे यहां अभिभावक खुद इन मसलों से अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं। इससे भी बड़ा मुद्दा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका का है। शिक्षा का एक मकसद ये होता है कि वह नए विचारों का सूत्रपात करे और समाज में बदलाव लाए। शिक्षा का उद्देश्य मौजूदा पूर्वाग्रहों या विचारों को प्रतिबिंबित और पुष्ट करना नहीं होता। यहां दहेज का उदाहरण प्रासंगिक है। बहुत सारे अभिभावकों को शायद दहेज देना या लेना गलत नहीं लगता होगा। फिर भी, स्कूली पाठ्यक्रम के ज़रिए हमें सीखने–समझने की ऐसी स्थिति रचनी होगी जहां दहेज की बहुप्रचलित परंपरा पर सवाल उठाया जा सके। बल्कि, अब तो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जेंडर समानता जैसे नए विचारों का उललेख प्रायः दिखाई देने लगा है।

यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है और भ्रष्ट पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा देती है

यौनिकता शिक्षा पर पाबंदी के लिए अकसर भारतीय संस्कृति की दुहाई दी जाती है परंतु इस तर्क में कोई दम नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारतीय संस्कृति की कोई एकीकृत छवि या बोध नहीं है। जनजातीय संस्कृतियों में आज भी यौन गतिविधियों पर कम पाबंदियां दिखाई देती हैं। ग्रामीण इलाकों में यौनिकता विशुद्धतः निजी मामला नहीं होती। इसका एक पैमाना सेक्स और यौनिकता से संबंधित हंसी–मज़ाक है जो युवाओं के सामने भी चलता रहता है। चाहे 'फूहड़' विवाह गीत हों या लतीफे या छींटाकशी हो, वयस्कों के बीच चलने वाली इस तरह की हंसी–ठिठोली युवाओं के सामने निषिद्ध नहीं होती। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि 'भारतीय संस्कृति' कामसूत्र, खजुराहो और कोर्णाक की संस्कृति भी है। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति के भीतर भी बेहद भेदभावपूर्ण और दुराचार भरे प्रचलन मौजूद हैं। जब परंपरा या धर्म के नाम पर तरह–तरह की हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव को सही ठहराया जाता है तो भारतीय परिवार व्यवस्था की 'शुद्धता' या नैतिक श्रेष्ठता को सही ठहराना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, यद्यपि हम ये मानते हैं कि भारत में किशोरावस्था शिक्षा में एचआईवी और एड्स पर जो ज़ोर दिया जा रहा है, वह इस क्षेत्र में काम करने के प्रति एक वैश्विक दबाव से जुड़ा हुआ है, परंतु हमें ये भी देखना चाहिए कि वैश्वीकरण के युग में प्रायः सभी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। केवल यौनिकता शिक्षा के मामले में ही एक शुद्धतावादी, राष्ट्रवादी पोज़ीशन को सही ठहराना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो यौन शिक्षा के विरुद्ध हैं परंतु भारत में विदेशी निवेश को किसी भी कीमत पर आकर्षित करना चाहते हैं या नाना प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं संस्थानों के लिए पश्चिमी स्रोतों से सहायता और अनुदान चाहते हैं। ऐसे में केवल यौनिकता शिक्षा को ही 'पश्चिमी' साज़िश के साथ जोड़कर देखने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया जाना चाहिए। वैसे भी, यौनिकता शिक्षा का सवाल तो अमेरिका में भी इसाई कटट्रपंथियों और अन्य रूढ़िवादी ताकतों के भारी विरोध में उलझा हुआ है। और अंत में, अधिकारों का निषेध करने के लिए संस्कृति की दुहाई देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इस तरह की दलीलों में दम होता तो भला सतीप्रथा के ख़िलाफ़ क़ानून कैसे बन सकते थे?

सेक्स प्राकृतिक चीज़ है और उसके बारे में ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से मिल जाता है इसलिए यौनिकता शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है

जेंडर की तरह सेक्स और यौनिकता भी प्राकृतिक नहीं होते बल्कि वे भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से निर्धारित होते हैं। हम जानते हैं कि उत्पीड़न 'प्राकृतिक' नहीं होता, न ही एचआईवी और एड्स संबंधी ज्ञान 'प्राकृतिक रूप से' प्राप्त किया जा सकता है। कॉन्डोम का इस्तेमाल करना 'प्राकृतिक' नहीं है परंतु यह सुरक्षित है और 'प्राकृतिकता' के तर्क का इस्तेमाल 'अप्राकृतिक' –– यानी विकलांग और समलैंगिक यौन रुझान वालों –– के ख़िलाफ़ किया जाता है। 'प्राकृतिक रूप से' प्राप्त किए गए ज्ञान का आशय सेक्स और यौनिकता संबंधी केवल ऐसे संदेशों से होता है जो मौजूदा असमान सामाजिक व्यवस्था को पुष्ट करते हैं।

इसके अलावा, यौनिकता के बारे में जिस तरह की शर्मिंदगी और गोपनीयता का भाव बना हुआ है उसके चलते वयस्कों के दिलो–दिमाग में भी तमाम तरह के सवाल, भय और भ्रम होते हैं जिनसे निपटने के उनके पास कोई साधन नहीं होते।

1.6 | अधिकारों को साकार करने में यौनिकता शिक्षा की भूमिका

यौनिकता शिक्षा कई अधिकारों को साकार करने में मददगार हो सकती है। सूचना का अधिकार इनमें काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि पीछे ज़िक्र किया गया है, अभी तक बच्चों को यौनिकता के मुद्दों पर सटीक, गैर–निर्णयकारी और अधिकार आधारित जानकारियों से वंचित रखा गया है। यह उनके अधिकारों का हनन है जिस पर फौरन ध्यान दिया जाना चाहिए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यसमूह द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 'बच्चों को सही सूचनाएं प्रदान करने, उन्हें सही फ़ैसले लेने की योग्यता प्रदान करने, उन्हें यौनिकता और जेंडर की विविध अभिव्यक्तियों से अवगत कराने और उन्हें किसी भी तरह के हनन से निपटने की क्षमता प्रदान करने के लिए यौनिकता के मुद्दों को संबोधित करना ज़रूरी है।'[13]

यौनिकता शिक्षा से जुड़े दूसरे अधिकार इस प्रकार हैं।

जेंडर समानता और यौन विविधता का अधिकार

यौनिकता और जेंडर से संबंधित धारणाओं, खासतौर से युवाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने वाली धारणाओं को आलोचनात्मक ढंग से समझने के लिए यौनिकता शिक्षा आवश्यक है। इससे किशोर उम्र के तनावों को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे जेंडर और यौनिकता की विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिए ज़्यादा स्वीकार्यता पैदा करने और उन लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी जिन्हें परंपरागत सामाजिक मान–मर्यादा और कायदे–क़ानूनों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है।

यौनिकता शिक्षा से इन मान्यताओं को चुनौती देने में मदद मिल सकती है ––

लड़के 'कुदरती तौर पर' आक्रमक होते हैं और यौन संतुष्टि के लिए दवाब ज़रूर डालते हैं जबकि लड़कियां निष्क्रिय, शर्मीली और सहमति देने या न देने में अक्षम होती हैं।

यौन आकर्षण सिर्फ एक ही तरह का होता है – लड़के और लड़की के बीच या पुरुष और स्त्री के बीच।

यदि तुम लड़के के रूप में पैदा हुए हो तो तुम लड़कों जैसा दिखोगे और व्यवहार करोगे। अगर तुम लड़की के रूप में पैदा हुई हो तो तुम लड़कियों जैसी दिखोगी और लड़कियों जैसा आचरण करोगी।

एक 'अच्छी' औरत वो होती है जो अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के मुकाबले औरों की इच्छाओं और ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देती है।

जो विकलांग होते हैं वे या तो अलैंगिक होते हैं या अतिकामुक होते हैं।

13. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, पृष्ठ 108, 2006

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के स्कूल के खतरों से उबरने का अनुभव

मेरा जन्म कलकत्ता के पास दमदम इलाके में 1974 में हुआ था। मेरा परिवार एक सामान्य बंगाली मध्यवर्गीय परिवार था। मेरे पिता सरकारी कर्मचारी थे और मेरी मां गृहिणी थीं। मेरे दादा–दादी भी हमारे साथ ही रहते थे।

मेरे बचपन की बहुत सारी धुंधली स्मृतियां हैं। मां घर का काम कर रही हैं, मेरे पिता हर रोज बाहर जा रहे हैं, मेरा घर, जहां मेरी पूरी दुनिया केंद्रित थी।

मुझे उस वक्त एक भारी झटका लगा जब मेरे मां–बाप ने मुझे स्कूल नाम की एक नई जगह भेज दिया। मैं महज़ 4 साल का था। उसी उम्र से मुझे औरतों की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मैं अकसर अपनी मां के कपड़े पहन लेता था। मैं चूड़ियां पहनता था और लिपिस्टिक लगा लेता था। शुरू में तो मेरी मां ने इसे शायद बच्चे का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया था परंतु जब उन्हें ये अहसास हुआ कि यह मेरा जुनून बनने लगा है तो मुझे अकसर डांट पड़ने लगी।

मैं फुटबॉल या क्रिकेट के साथ नहीं बल्कि गुड्डे–गुड़ियों और गपशप के साथ लड़कपन में दाखिल हुआ। लड़के जो खेल खेलते थे वे मुझे बहुत उबाऊ और थकाने वाले लगते थे। लिहाज़ा, ऐसे खेलों में मेरी दिलचस्पी नहीं बनी।

कई बार मेरी मां मुझे धकियाकर बच्चों के साथ बाहर खेलने भेज देती थी। मैं बाहर तो चला जाता लेकिन मैदान के किनारे खड़ा रहता और इस बात पर दुखी होता रहता कि मैं औरतों के बीच हो रही गपशप से वंचित रह गया हूं।

गुड़ियों के साथ मेरे खेल का एक अहम पहलू था। मैं हमेशा अपनी गुड़ियों की मां बनता था। बाप की भूमिका मैं बड़े आराम से अपनी छोटी बहन या जो भी चाहे उसको दे देता था।

धीरे–धीरे मेरे साथ पढ़ने वाले और बच्चों ने इस बात पर गौर किया कि मैं कुछ अलग तरह का हूं। उन्होंने पाया कि मैं औरों से ज़्यादा दब्बू और कमजोर हूं। इसकी वजह से वे रोज मुझ पर धौंस जमाने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। इस तरह पहली बार मेरे भीतर असुरक्षा का भाव पैदा होने लगा।

हालांकि क्लास के लड़के अकसर मुझ पर धौंस जमाते थे लेकिन सच तो ये है कि मैं भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था। जब वे चोर सिपाही खेलना चाहते तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सबसे कटा हुआ था। मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों की आंख का तारा था। बड़ी उम्र की लड़कियां तो मुझे ज्यादा ही पसंद करती थीं। उनके लिए मैं एक गोल–मटोल प्राणी था जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और जो उनके लिए वह सारी भागदौड़ कर सकता था जो मेरी उम्र के लड़के कभी करने वाले नहीं थे।

इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को संतुलित करते हुए चला जा रहा था। यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के साथ ही चीज़ें बदलने लगीं। मैंने अचानक महसूस किया कि मैं 'गंदा लड़का' बनने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैंने पाया कि मेरे इर्द–गिर्द मुझसे भी ज़्यादा गंदे लड़कों का एक गिरोह जुटने लगा है। वे हमेशा बस लड़कियों की चर्चा करते थे! उफ़!

और भी कई मुश्किलें थीं। मेरा शरीर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मेरी आवाज़ पहले जैसी मधुर नहीं रही। मैं अपने और अपने शरीर में आ रहे बदलावों को लेकर शर्म महसूस करने लगा।

मुझे याद है कि टारजन की तस्वीर देखकर मैं उसकी तरफ आकर्षण महसूस करता था। बल्कि मुझे इस बात पर हैरानी होती थी कि मेरे सहपाठी टैनिस की खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ के दीवाने क्यों थे! वह तो कितनी अनाकर्षक थी! कहने की ज़रूरत नहीं कि सारे लड़के स्त्री–देह और मशहूर औरतों के बारे में रोज जिस तरह की गर्मागर्म चर्चा करते थे, मैं हमेशा उनसे दूर भागता था।

मैं अकेला पड़ने लगा। मैं अकसर सोचता, क्या दुनिया में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने ही लिंग वाले लोगों के प्रति ऐसे अजीब आकर्षण का शिकार हुआ हूं?

जब मैं इन सवालों से जूझ रहा था उसी दौरान मेरे सहपाठियों ने एक नया टाइमपास ढूंढ़ लिया और वो टाइमपास था – मैं। वे मुझे बौदी (बंगला में भाभी) कहकर बुलाने लगे। धीरे–धीरे मैं पूरे स्कूल में आकर्षण का केंद्र, सबकी भाभी बन गया! स्थिति यह हुई कि एक बार मेरे एक सहपाठी ने मेरे साथ शारीरिक जबर्दस्ती का भी साहस जुटा लिया। जब मैंने उसे धमकी दी कि मैं यह बात अपने मम्मी–पापा या दूसरे बच्चों को बता दूंगा तो वह रुक गया लेकिन उसने मुझ पर अश्लीलता का आरोप ज़रूर मढ़ दिया। आस–पास के सब लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया। शायद इसलिए क्योंकि मैं मर्दों जैसा नहीं था।

इस तरह मेरी जानी–पहचानी दुनिया धीरे–धीरे मेरे लिए अनजानी होने लगी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं अपनी भावनाओं से अवगत करा पाता। कोई ऐसा नहीं था जिसके कंधे पर सिर रख पाता। मेरा कोई दोस्त नहीं था।

मैंने अकसर अपने 'शुद्धिकरण' का प्रयास किया। परंतु जब भी मैं ऐसा संकल्प लेता, मेरे भीतर की ताकत उसे पलक झपकते नष्ट कर देती। मैं अपने ऊपर नियंत्रण खो रहा था। मैं किसी शैतानी ताकत के नियंत्रण में जाने लगा था। मैं 'अच्छा' बनना चाहता था। मगर ऐसा न हो सका।

एक बार मैंने सोचा कि स्कूल ही छोड़ दूं तो सारी समस्याएं ही हल हो जाएंगी। मुझे लगता था कि तब मुझे दिन–रात इन लड़कों से नहीं जूझना पड़ेगा। इन सारी बातों से मुझ पर गहरा असर पड़ा। मेरे भीतर ऑब्सेसिव कम्पल्सिव डिसऑर्डर (एक ऐसी मानसिक परेशानी जिसमें व्यक्ति बार–बार एक ही तरह की चीज़ सोचता/करता रहता है) पैदा होने लगे।

जब मैं पहली बार एक काउंसिलर से मिला तो मेरी समस्या और बढ़ गई। जब मैंने उसे अपने यौन रुझान के बारे में बताया तो उसने कहा कि मेरा मामला 'बूढ़े मारवाड़ियों की बीमारी' जैसा है। उसने सलाह दी कि अब मुझे लड़कियों और केवल लड़कियों के बारे में ही सोचना चाहिए।

स्कूल पूरा करने के बाद मैं किस कॉलेज में जाऊं, इस बारे में मैं काफी संवेदनशील हो गया था। मैं ऐसी 'सुरक्षित जगह' चाहता था जहां कोई मुझे भाभी न कहे या मुझे हतोत्साहित करने वाली नज़रों से न देखे या मेरी उपेक्षा न करे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आया। मैं अकसर क्लास छोड़ने लगा। मैं सैर–सपाटे के लिए नहीं बल्कि घर में रहने के लिए क्लास से भागता था। घर पर रहकर मैंने अपनी पढ़ाई–लिखाई पर ध्यान दिया और मानवशास्त्र विभाग में सबसे ज़्यादा अंक पाए।

इस तरह मुझे शहर के सबसे बेहतरीन कॉलेज, प्रेजीडेंसी कॉलेज में दाखिला मिल गया। पहली बार यहीं मेरा अपनी उम्र की लड़कियों से मिलना–जुलना हुआ। मुझे लड़कियों के साथ ज़्यादा सहज महसूस होता था। लेकिन जल्दी ही ये अफवाह फैल गई कि मेरा एक लड़की से चक्कर चल रहा है। जबकि सच यह था कि मैं अपनी कक्षा के एक लड़के की तरफ आकर्षित होने लगा था। कितनी विचित्र और भ्रामक स्थिति थी!

इस भ्रम से मेरी पढ़ाई–लिखाई पर असर पड़ने लगा। जितना ज़्यादा मैं 'समस्या' से बाहर निकलने की कोशिश करता, उतनी ही ज़्यादा समस्या मुझ पर हावी होती जाती। आखिरकार हालात इतने बदतर हुए कि मैं द्वितीय वर्ष के इम्तहान में ही नहीं बैठ पाया। मैं आत्महत्या के बारे में सोचने लगा।

लगभग इसी दौरान आनंद बाज़ार पत्रिका में काउंसिल क्लब (यौन अल्पसंख्यकों की सहायता करने वाला समूह, कलकत्ता में यह अपनी तरह का यह पहला प्रयास था) के बारे में खबर छपी। मुझे पहली बार यह अहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं।

मैं सहमते हुए एक बुकस्टॉल पर प्रवर्तक (काउंसिल क्लब की पत्रिका) खरीदने गया। पत्रिका में काउंसिल क्लब का पता भी छपा हुआ था। मैंने क्लब के नाम उस पते पर चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं उसका सदस्य बनना चाहता हूं।

उनका जवाब काफी समय बाद आया। बहरहाल, आखिरकार मुझे अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ने का निमंत्रण मिल गया। यहां से मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मगर यह एक अलग कहानी है।

राजर्षी चक्रवर्ती, स्वीकृति। राजर्षी जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे वहां ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए शिक्षकों का सपोर्ट नेटवर्क बनाने में उन्होंने बुनियादी काम किया है।

विभिन्न कानूनों और घरेलू हिंसा निषेध विधेयक, 2006 तथा सीईडीएडब्ल्यू[14] जैसे विभिन्न कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में जेंडर और यौनिकता से संबंधित अधिकारों को मान्यता दी जाने लगी है। परंतु इन तमाम कानूनों के बावजूद अभी भी सामाजिक पूर्वाग्रहों और मूल्य–मान्यताओं को चुनौती देना मुश्किल बना हुआ है। यौनिकता शिक्षा इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका अदा कर सकती है।

जेंडर की तरह सेक्स और यौनिकता भी प्राकृतिक बात नहीं होती बल्कि यह नाना प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों से तय होती है। सेक्स और यौनिकता के मामले में स्वीकार्य और निषिद्ध बातों की कोई संख्या नहीं है। किसके साथ, कैसे, क्यों और कब यौन व्यवहार स्वीकार्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में तमाम तरह के नुस्खे और उपदेश प्रचलित हैं। ये नियम मौजूदा सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने की ज़रूरत पर आधारित हैं भले ही ये संरचनाएं कितनी भी गैर–बराबरी भरी और अन्यायपूर्ण क्यों न हों। लिहाज़ा, ये नियम न केवल जेंडर और यौनिकता के बारे में होते हैं बल्कि जाति, धर्म और वर्ग से भी उनका गहरा ताल्लुक रहता है।

यदि हम खास तरह का आचरण करें, तो हमें क्या फायदे मिलेंगे या किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यह सेक्स और यौनिकता के बारे में हमारे मौजूदा 'ज्ञान' को गढ़ता है। यदि हम युवाओं को ऐसी जानकारी प्रदान करना चाहते हैं जो उनकी ज़रूरतों और हितों पर केंद्रित हैं (जो संभवत: वैसी नहीं होगी जो कि मौजूदा सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है) और जो न्याय व समता के उसूलों पर आधारित हो तो यौनिकता शिक्षा की ज़रूरत को नकारने की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार

सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम शरीर पर नियंत्रण –– यानी अपने शरीर के बारे में खुद फ़ैसले लेने के अधिकार –– से जुड़ा हुआ है। यौनिकता शिक्षा से इस बात की समझदारी पैदा होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी अनचाहे स्पर्श का विरोध करने का अधिकार होता है। अपने शरीर पर नियंत्रण के अधिकार को एजेंसी और कुशलक्षेम के सकारात्मक अर्थों में भी समझना ज़रूरी है। यौनिकता प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण से गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। बेशक, यौनिकता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम आपस में गहरे तौर पर जुड़े होते हैं। बाल यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा और यहां तक कि स्कूल में अश्लील रैगिंग आदि को भी केवल तभी चिह्नित किया जा सकता है जब किशोर–किशोरियां इस बात को समझने लगें कि अपने शरीर पर उनका अधिकार है तथा कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता। कम उम्र में विवाह, जल्दी/अवांछित गर्भ, और खुद को पति की इच्छाओं पर न्यौछावर कर देना औरत के लिए अनिवार्य नहीं है – इन चीज़ों को देखते हुए युवतियों के लिए

14. कन्वेंशन ऑन दि एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन।

अपने शरीर पर नियंत्रण का सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनीमिया (खून की कमी), जन्म के समय बच्चे का कम वजन और स्वत: गर्भपात जैसी समस्याएं किशोर उम्र की मांओं में काफी ज़्यादा पायी जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के समय ऐसी लड़कियों की मृत्यु की आशंका भी सामान्य से अधिक रहती है।

- उत्तर प्रदेश में 15–49 वर्ष आयु वाली केवल 8.7 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने कॉन्डोम के इस्तेमाल के बारे में बताया।
- उत्तर प्रदेश में किसी भी उम्र की दो–तिहाई विवाहित महिलाओं को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यदि कॉन्डोम का लगातार इस्तेमाल किया जाए तो एचआईवी का खतरा कम हो सकता है। केवल 74 प्रतिशत पुरुषों और 40 प्रतिशत महिलाओं ने एड्स के बारे में सुना है।[15]

हिंसा से मुक्ति का अधिकार

यौनिकता शिक्षा हिंसा को समझने में भी मददगार हो सकती है। लड़कों और पुरुषों की यौनिकता 'प्राकृतिक रूप से' आक्रामक नहीं होती। न ही उनके 'होर्मोनों की बनावट' में हिंसा निहित होती है। हिंसा तो इस बात से पैदा होती है कि उन्हें महिलाओं पर ताकत दिखाने के लिए इस तरह तैयार किया गया है। अगर ये 'प्राकृतिक' परिघटना होती तो सारे लड़के और पुरुष शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न करते। यौनिकता शिक्षा के कार्यक्रम जेंडर, यौनिकता, सत्ता और संबंधों के इर्द–गिर्द चर्चा के ज़रिए यौन हिंसा के बारे में लड़कों और लड़कियों से बात करने और उनकी सोच व व्यवहार में बदलाव लाने का एक मौका मुहैया करा सकते हैं।

यौनिकता शिक्षा कक्षा के भीतर विद्यार्थियों को अपने भ्रमों पर चर्चा करके उन्हें दूर करने, हिंसा, खासतौर से अपने से ज़्यादा सत्ता संपन्न व्यक्तियों द्वारा हिंसा के अपने निजी अनुभवों से संबंधित हीनताबोध और बेचैनी से उबरने का एक सुरक्षित माहौल मुहैया करा सकती है। अकसर बच्चों के पास ऐसे शब्द और ऐसी भाषा नहीं होती जिसके सहारे वे अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में किसी को बता सकें क्योंकि यौन विषयों से संबंधित कोई भी बात गहरी खामोशी के कवच से ढंकी रहती है। यौनिकता शिक्षा से युवाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा के बारे में ज़बान खोलने की ताकत मिलती है जिससे सुरक्षा व सम्मानजनक जीवन का उनका अधिकार पुष्ट हो सकता है।

यौनिकता शिक्षा से बाल यौन उत्पीड़न की घटनाओं में भी कमी आ सकती है। यौनिकता शिक्षा के प्रभाव दो स्तर पर हो सकते हैं –– एक, इससे बाल यौन उत्पीडन से गुज़रने वाले युवाओं को यह बात समझ में आ जाएगी कि जो उनके साथ हो रहा है वो 'उत्पीड़न' है, और दूसरे, इससे बच्चों के आत्मविश्वास में इज़ाफा

15. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 3), 2005–2006 : उत्तर पद्रेश 2007

होगा और वे अपने अभिभावकों / संरक्षकों / शिक्षक / शिक्षिकाओं को इस तरह की घटनाओं या परिस्थितियों के बारे में बता पाएंगे।

शैक्षणिक संस्थानों में लड़कियों और युवतियों के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न और हिंसा काफी व्यापक है परंतु इसके बारे में प्रायः बात नहीं की जाती। हमारे पास अभी भी इस समस्या को पूरी तरह समझने के लिए न तो पर्याप्त जानकारियां हैं और न ही जानकारियां इकट्ठा करने की कोई व्यवस्थित प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कार्यस्थल यौन उत्पीड़न विरोधी दिशानिर्देश (विशाखा बनाम राजस्थान सरकार) में विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे यौन उत्पीड़न संबंधी मुद्दों के बारे में दिशानिर्देश तय करें और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए कमेटियों का गठन करें। यद्यपि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं और कमेटियों का गठन किया गया है परंतु बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों के पास अभी भी इस बारे में कोई नीति नहीं है। यद्यपि तकनीकी रूप से स्कूल भी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के अंतर्गत आते हैं परंतु स्कूलों में इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है जबकि इन संस्थाओं में भी यौन उत्पीड़न काफी आम है और ऐसी घटनाएं विरले ही कभी सामने आ पाती हैं। नतीजा यह है कि इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे पास मीडिया के अलावा और कोई ज़रिया नहीं है।

जहां परिचित और विश्वासपात्र लोगों द्वारा बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है; जहां लड़कियों की रज़ामंदी के बिना उनकी शादी कर दी जाती है और उनकी सहमति के बिना उनके साथ सेक्स किया जाता है और शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व अवस्था में ही उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है; जहां लड़कों को किशोरावस्था में अपने शरीर और कामनाओं के प्रति आशंकाओं से भर दिया जाता है; जहां पॉर्नोग्राफी ही यौनिकता संबंधी सूचनाओं का एकमात्र स्रोत बन जाती है; जहां विकलांग, ट्रांसजेंडर और समलैंगिक लोग नाना प्रकार की हिंसा व भेदभाव का सामना करते हैं और अपनी अलग तरह की ज़रूरतों व इच्छाओं के कारण भयभीत रहते हैं — वहां यौनिकता शिक्षा की ज़रूरत निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाती है।

यौनिकता शिक्षा का अधिकार

यौनिकता शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए जीवन, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति, शिक्षा और सूचना के अधिकारों का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। संविधान के मौलिक अधिकारों में जीवन का अधिकार दिया गया है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को परिपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का अधिकार प्राप्त है।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के अधिकार को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (आईसीईएससीआर) तथा बाल अधिकार कन्वेंशन (सीआरसी) में इस बात को स्पष्ट मान्यता दी गई है कि स्वास्थ्य, उत्तरजीविता एवं विकास के अधिकार में उचित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं व सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार भी निहित होता है। भारत सरकार इन संधियों पर हस्ताक्षर कर चुकी है। लिहाज़ा यह सुनिश्चित करना भारत सकार की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों और युवाओं को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं शिक्षा से वंचित न रखा जाए।

भाग दो

जनसंख्या शिक्षा से किशोरावस्था शिक्षा तक

जनसंख्या शिक्षा से किशोरावस्था शिक्षा तक : एक संक्षिप्त ब्यौरा

इस भाग में हम किशोरावस्था शिक्षा के उदय और विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। यह शिक्षा कई दशक पहले शुरू हुई जनसंख्या शिक्षा के विमर्श की उपज है। इस भाग को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (टिस) की सुश्री नंदनी मंजरेकर ने लिखा है।

स्कूली पाठ्यचर्या के तहत किशोर उम्र के बच्चों की यौनिकता को संबोधित करने की चुनौती भारतीय नीतियों से जुड़े विमर्श के लिए लगभग एक नई बात है। अब इसने किशोरावस्था शिक्षा का जो रूप ग्रहण कर लिया है वह भारत में जनसंख्या नीति विमर्शों से ही 1952 में भारत में शुरू किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम दूसरे महायुद्ध के बाद चले जनसंख्या विमर्श, खासतौर से अमेरिका में चले विमर्श की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था। इस विमर्श में असंख्य निजी और सार्वजनिक संस्थानों ने इस बात पर विचार किया कि 'तीसरी दुनिया' के देशों में आर्थिक बोझ बनती जा रही जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाए। 1960 के मध्य के दशक में इन एजेंसियों के दवाब और आंतरिक आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को और तेज करने का फ़ैसला लिया। 1969 में शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय तथा नवगठित स्वास्थ्य एवं परिवार नियंत्रण मंत्रालय ने मिल कर जनसंख्या शिक्षा पर एक संयुक्त राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार से इस बारे में एक राष्ट्रीय सहमति पैदा हुई कि देश की शिक्षा व्यवस्था में जनसंख्या शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। 1970 में भारत सरकार ने तय किया कि भारत की जनसंख्या 'समस्या' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाए।

इस तरह राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के वैचारिक धरातल पर जनसंख्या शिक्षा को मान्यता प्रदान कर दी गई। 1975 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में जनसंख्या संबंधी 'मूल्य–मान्यताओं' को शामिल किया जाएगा। लक्ष्य यह था कि विद्यार्थी छोटे परिवार का महत्व समझें और वे इसे राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़कर देखें क्योंकि भारी जनसंख्या वृद्धि के कारण ये लक्ष्य कथित रूप से खतरे में पड़ते जा रहे थे। अप्रैल 1980 में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू की गई। इस दौर की अन्य राष्ट्रीय नीतियों में भी इस समझदारी की अनुगूंज सुनाई पड़ती थी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर ध्यान दिया गया जो कि स्वतंत्र भारत में पहला ऐसा दस्तावेज़ था जिसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की ज़रूरत रेखांकित की गई थी। इन नीतियों में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जनसंख्या को स्थिर करने और छोटे परिवार की चाह पैदा करने को स्कूली शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल किया जाए। लिहाज़ा, 1986 के बाद तैयार हुई पाठ्यपुस्तकों में परिवार के आकार, परिवार कल्याण, देर से विवाह और जिम्मेदारी भरे अभिभाव होने पर जोर दिया जाने

लगा। छोटा परिवार नियम के सर्वव्यापी संदेश, भारत के पिछड़ेपन के लिए जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराने की सर्वसमावेशी विचारधारा और यौन अति लालसा के ज़रिए देश के पिछड़ेपन को बढ़ाने में अनपढ़, प्रायः ग्रामीण, गरीबों को जिम्मेदार ठहराने जैसे तर्क स्कूली पाठ्यपुस्तकों से प्रायः हम सभी ने ग्रहण किए हैं।

बड़े परिवारों की दुर्दशा, हताशा और आर्थिक रूप से खुद को पंगु बना लेने वाली छवियों के ज़रिए स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा ने विकास की एक ऐसी समझ को स्थापित कर दिया जिसमें 'अति जनसंख्या' को ही सारे सामाजिक और आर्थिक पिछड़पने की असली वजह बताया गया था। इस तरह, छोटे परिवार के प्रति लोगों के रवैये और नज़रिये बदलने लगे। नब्बे के दशक के मध्य तक आते–आते जनसंख्या और विकास की जेंडर व वर्ग आधारित विचारधाराएं पूरे देश की पाठ्यपुस्तकों में स्थापित हो चुकी थीं। सभी बड़े शैक्षणिक प्रतिष्ठान विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं सेवापूर्व व सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा को शामिल करने पर ज़ोर देने लगे।

1994 में हुए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन (आईसीपीडी) के बाद स्कूली जनसंख्या शिक्षा की जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी आधारित विचारधारा के स्थान पर किशोर–किशोरियों को निशाना बनाने की पद्धति अपनाई जाने लगी। स्वास्थ्य एवं विकास नीति में अवधारणा के स्तर पर आए व्यापक बदलावों के परिणामस्वरूप अब विकास और जनसंख्या की बजाय शिक्षा नीति में किशोरावस्था यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एडोलेसेन्ट सैक्शुअल एंड रीप्रोडक्टिव हैल्थ (एएसआरएच) पर ज़ोर दिया जाने लगा। 1993 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) में हुए एक सेमिनार में इस कार्यक्रम को 'किशोरावस्था शिक्षा' का नया नाम दिया गया। सेमिनार में आए सहभागियों को जीवन कौशल शिक्षा या यौन शिक्षा या यौनिकता शिक्षा के मुकाबले यह नाम कहीं ज़्यादा सर्वसमावेशी दिखायी दिया। इस कार्यक्रम के तीन हिस्से तय किए गए –– (1) बढ़ती उम्र, (2) एचआईवी और एड्स तथा (3) नशीले पदार्थों का सेवन। भारत की 20 फीसदी से ज़्यादा आबादी की उम्र 10 साल से 19 साल के बीच है और तकरीबन आधी आबादी की उम्र 25 साल[16] से कम है[16], तथा युवा आबादी में एचआईवी संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है – इस बात को देखते हुए किशोरावस्था शिक्षा में एचआईवी और एड्स रोकथाम के नारों की अनुगूंज सुनाई देने लगी। (इस कार्यक्रम की फंडिंग में आए बदलाव इस बात को पुष्ट करते हैं)। परियोजना के चौथे चरण (1997–2002) में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम रख दिया गया और उसमें एएसआरएच पर विशेष ज़ोर दिया गया। इस दौरान कई राष्ट्रीय नीतियों में किशोर–किशोरियों को विशेष रूप से संबोधित किया गया। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में किशोर–किशोरियों को ऐसे 'अल्पसेवित' समूह के रूप में चिह्नित किया गया जिसे सूचना, काउंसलिंग तथा प्रजनन स्वास्थ्य

16. भारत की जनगणना, 2001

सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 में प्रजनन स्वास्थ्य, एचआईवी, एड्स तथा जनसंख्या संबंधी मुद्दों से जुड़ी जानकारियों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) तथा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) द्वारा 2006 में देश के सभी स्कूलों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया जाना था (जो बाद में विवादों में फंस गया था)।

हमारे देश में किशोरावस्था संबंधी अनुसंधानों और कार्यक्रमों का सिलसिला काफ़ी नया है। पश्चिमी देशों में यह समझ काफ़ी पुख्ता हो चुकी है कि किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। भारतीय परिवेश में यह समझ इतनी मुखर नहीं रही है। परंतु हाल ही में, किशोरावस्था शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले सरकारी दस्तावेज़ किशोरावस्था संबंधी सामाजिक परिवर्तनों के संकेतों पर ध्यान देने लगे हैं। मसलन, उनमें (1) प्यूबर्टी (यौवनारंभ) की गिरती उम्र, (2) शैक्षणिक स्तर में सुधार, तथा (3) विवाह की बढ़ती उम्र आदि सामाजिक परिवर्तनों को चिह्नित किया गया है। विवाह–पूर्व यौन संबंधों के बढ़ते रुझानों पर केंद्रित अध्ययनों का भी हवाला दिया जाने लगा है। इस बात को तो स्वीकार किया जाने लगा है कि हमारे समाज में इस तरह के संबंध बन रहे हैं परंतु एड्स का जिक्र आते ही इन संबंधों को 'गैर–ज़िम्मेदाराना' व्यवहार के रूप में देखा जाने लगता है। फलस्वरूप, इस दलील को बल मिलता है कि किशोर–किशोरियों को यौन गतिविधियों व नशीली दवाओं के सेवन की ओर ढकेलने वाले संगी–साथियों के दवाब से निपटने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रयासों की अपेक्षा ये है कि किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के ज़रिए किशोर–किशोरियां 'सकारात्मक' और 'उत्तरदायित्वपूर्ण' सामाजिक एवं यौन व्यवहार सीखेंगे। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मान–मर्यादा का पालन करें जो कि शहरीकरण, वैश्वीकरण और बदलती जीवन शैलियों के कारण कथित रूप से खत्म होती जा रही है।

प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स पर सक्रिय ऐसी बहुपक्षीय एजेंसियों की तरफ से इन कार्यक्रमों के लिए पैसा और प्रोत्साहन मिल रहा है जो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं प्रजनन क्षमता नियंत्रण कार्यक्रमों से गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी पोजीशन पेपर में सरकार द्वारा शुरू की गई किशोरावस्था शिक्षा की सकारात्मक संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। परंतु साथ ही चेतावनी के अंदाज में सख्ती से ये भी कहा गया है कि 'स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा निर्धारित रूपरेखा, सामग्री और पद्धति का औचित्य निर्धारित किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इनमें से कई कार्यक्रम बाहरी फंडिंग पर आधारित हैं और उनके बारे में फ़ैसले केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर लिए जाते हैं।'[17]

यदि जनसंख्या शिक्षा भारत के पिछड़ेपन के लिए अनपढ़ और गरीबों को ज़िम्मेदार ठहराती थी तो दूसरी ओर

17. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, पृष्ठ 17, 2005

किशोरावस्था शिक्षा में किशोर–किशोरियों को देश के विकास तथा जनसांख्यिकीय एवं नैतिक मूल्यों के लिए एक खतरे के रूप में पेश करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

नाको और यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई सामग्री किशोरावस्था शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ताज़ा योगदान रही है जिसने भारी विवाद को जन्म दिया है। इसी विवाद के आधार पर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान आदि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में यौन शिक्षा पर पाबंदी लगा दी है। इस सामग्री की यह कहकर अकसर आलोचना की जाती है कि इसकी विषयवस्तु, खासतौर से इसमें इस्तेमाल किए जा रहे चित्र बेहद आपत्तिजनक हैं। यह विवाद इतना बढ़ा कि आखिर में संसद तक जा पहुंचा और उसे संसदीय याचिका समिति के विचारार्थ प्रेषित कर दिया गया। इस कमेटी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों में यौन शिक्षा लागू करने की संभावनाओं पर विचार करना था। समीक्षा के लिए इस कमेटी ने नागर समाज से भी अपना पक्ष रखने का आग्रह किया। प्रस्तुत दस्तावेज़ को तैयार करने में सक्रिय कई संगठनों/समूहों ने या तो अपनी ओर से या अन्य समूहों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपने–अपने विचार कमेटी को भेज दिए हैं। इनमें से एक प्रस्तुति महिला समूहों और महिला अध्ययन विभागों की ओर से, एक प्रस्तुति शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों की ओर से तथा एक प्रस्तुति बाल अधिकार संगठन एवं युवा संगठनों की ओर से भी भेजी गई है। इस कमेटी के सदस्यों ने देश के विभिन्न प्रांतों का दौरा किया है और अध्यापकों एवं विद्यार्थियों से बात की है। इस कमेटी की सिफारिशें अभी नहीं आई हैं। बहरहाल, इसी बीच नाको और यूनिसेफ ने एक समीक्षा समिति का गठन कर दिया है जिसके नतीजे हाल ही में सार्वजनिक किए गए हैं। (नाको की नई सामग्री पर देश भर के संगठनों की राय परिशिष्ट–1 में पढ़ी जा सकती है।)

भाग तीन

मौजूदा चुनौतियां

मौजूदा चुनौतियां : किशोरावस्था शिक्षा सामग्रियों की समीक्षा के आधार पर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की महिला सशक्तिकरण कार्यसमूह रिपोर्ट में कहा गया है कि 'यौनिकता को शैक्षणिक सामग्री में समस्याप्रद ढंग से संबोधित किया जा रहा है।' रिपोर्ट के मुताबिक, 'इसे या तो जनसंख्या अथवा प्रजनन स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखा जाता है या व्यभिचार और शर्म के साथ जोड़कर पेश किया जाता है।'[18] यद्यपि बहुत सारे संगठन यौन शिक्षा सामग्री तैयार कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं परंतु उन सभी संगठनों के पास यौनिकता के बारे में एक समग्रतावादी और अधिकार आधारित नज़रिया नहीं है। फलस्वरूप, ऐसे कार्यक्रमों की विषयवस्तु इस तरह की मूल्य–मान्यताओं, रूढ़ छवियों और नकारात्मक मान्यताओं को पुष्ट करती है जो युवाओं को जानकारी या मदद देने के लिहाज़ से प्रायः बहुत सफल दिखाई नहीं देतीं।

मौजूदा सोच का गहन विश्लेषण करने के लिए निरंतर द्वारा आयोजित नैशनल कंसल्टेशन ऑन सेक्शुअलिटी एजुकेशन फॉर यंग पीपल में मौजूदा सामग्रियों की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल की सामग्री की समीक्षा जाधवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल की डॉ. परोमिता चक्रवर्ती ने की। मध्य प्रदेश की सामग्री की समीक्षा अनु गुप्ता, एकलव्य, मध्य प्रदेश ने की जबकि नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय स्तर की सामग्री की समीक्षा ऋतुपर्णा बोराह तथा जया शर्मा, निरंतर, नई दिल्ली द्वारा की गई।

इस समीक्षा के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार की गई इन सामग्रियों को चुना गया था :

- एडोलेसेंस एजुकेशन इन स्कूल्स
  मूल सामग्री का पैकेज, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी, 1999)
- युवा स्कूल एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, हैंडबुक फॉर टीचर्स, खंड 1 व 2, शिक्षा विभाग, दिल्ली तथा दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, 2005
- एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम टीचर्स वर्कबुक, फेसिलिटेटर्स हैंडबुक फॉर ट्रेनिंग पीयर एजुकेटर्स; फेसिलिटेटर्स हैंडबुक फॉर रिफ्रेशर टीचर ट्रेनिंग; फ्लिप चार्ट, यूनिसेफ–नाको, 2006
- लाइफस्टाइल एजुकेशन, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल, 2005
- किशोरावस्था शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), मध्य प्रदेश, 2000
- जीवन के लिए शिक्षा, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, मध्य प्रदेश, 2003
- किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण, राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश, 2005–06

18. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, पृष्ठ 111, 2006

सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार की गई ज़्यादातर सामग्री की तरह उपरोक्त सामग्रियां भी किशोर–किशोरियों को नहीं बल्कि शिक्षकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

इस समीक्षा से जो रुझान उभरते दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से सामने लाने के लिए हमने केवल महत्वपूर्ण उदाहरणों का ही इस्तेमाल किया है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो इन सामग्रियों में समान रूप से दिखाई देते हैं। यद्यपि यहां इस तरह के केवल कुछ उदाहरण दिए गए हैं लेकिन प्रत्येक निष्कर्ष के समर्थन में कई अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं।

इस भाग में निम्नलिखित पर भी विचार किया गया है :

1. मध्य प्रदेश में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा तैयार की गई और इस्तेमाल की जा रही सामग्री। इन सामग्रियों में शिक्षकों के लिए तैयार किए गए मेन्युअल तथा किशोर–किशोरियों के पढ़ने के लिए तैयार की गई पाठ्य सामग्री भी शामिल है।
2. नई दिल्ली स्थित एनजीओ – तारशी – द्वारा 1999 में प्रकाशित की गई ब्लू बुक (15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए) तथा रेड बुक (10–14 साल के बच्चों के लिए)।
3. नाको और यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई सामग्री जिस पर कई राज्यों में पाबंदी लगी हुई है।

3.1 | सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई सामग्रियों की समीक्षा

सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई सामग्रियों के बारे में मुख्य चिंताएं

इन सामग्रियों का उपकरणवादी स्वरूप
ये रोग नियंत्रण एवं जनसंख्या नियंत्रण जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करती है। युवाओं की ज़रूरतें और हित इनके केंद्र में नहीं हैं।

एचआईवी और एड्स पर भारी ज़ोर
इन सामग्रियों की विषयवस्तु और सोच पर एचआईवी व एड्स की रोकथाम का एजेंडा हावी दिखाई देता है।

प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सीमित दिलचस्पी और यौन स्वास्थ्य एवं यौन अधिकारों की उपेक्षा
अधिकारों की दृष्टि से यौनिकता के मुद्दों पर इस सामग्री में कहीं विचार नहीं किया गया है।

अनुशासन एवं नियंत्रण
दैनिक जीवन और यौनिकता के बारे में तरह–तरह के नियम बांधे गए हैं। । भय पैदा करने वाला रवैया अपनाया गया है।

सामाजिक उत्तरदायित्व की बजाय व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी
निजी अधिकारों को साकार करने की ज़िम्मेदारी खुद युवाओं पर डाल दी गई है। विद्यार्थियों को इस बात की समझदारी नहीं दी गई है कि सामाजिक संस्थानों को कौन सी भूमिकाएं निभानी चाहिए। सामाजिक संस्थानों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा रहा है।

यौनिकता के सकारात्मक आयामों के लिए कोई स्थान नहीं
जहां कामनाओं को मान्यता दी गई है वहां भी उन पर अंकुश लगाने का प्रयास दिखाई देता है। इच्छा पर नियंत्रण के लिए बहुत सारी 'रणनीतियां' सुझाई गई हैं।

विविधता को मान्यता नहीं दी जा रही है
शहर–गांव, शरीर, जेंडर, यौन इच्छाओं और 'परिवार' आदि के संदर्भ में विविधता को मान्यता नहीं दी गई है।

जेंडर पर सीमित ज़ोर
जेंडर पर सतही ज़ोर दिया गया है। जेंडर आधारित भेदभाव पर उचित फोकस नहीं है। सामाजिक विश्लेषण नदारद है।

समीक्षा से पता चलता है कि पुरानी सामग्री कुछ खास मायनों में नई सामग्री से भिन्न है। उदाहरणों के ज़रिए हमने इस खासियत को सामने लाने का प्रयास किया है।

पुरानी सामग्री का आशय एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित एडोलोसेंस एजुकेशन इन स्कूल्स (1999) तथा मध्य प्रदेश एससीईआरटी द्वारा प्रकाशित किशोरावस्था शिक्षा (2000) से है। नई सामग्री का आशय युवा एडोलोसेंस एजुकेशन प्रोग्राम (2005); लाइफस्टाइल एजुकेशन, पश्चिम बंगाल (2005); जीवन के लिए शिक्षा, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, एमपीएसएसीएस (2003); किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण, राज्य शिक्षा केंद्र (2005–06) से है।

3.1.1 | सामग्रियों का उपकरणवादी स्वरूप

इन सामग्रियों पर एचआईवी और एड्स की रोकथाम तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे उद्देश्य हावी हैं। इन सामग्रियों की विषयवस्तु या सोच युवाओं की ज़रूरतों और हितों पर केंद्रित नहीं है। इन दस्तावेज़ों का उपकरणवादी स्वरूप उन संस्थाओं के बयानों से भी स्पष्ट हो जाता है जिन्होंने इन्हें प्रकाशित किया था।

‘किशोर–किशोरियों के यौन व्यवहार से संबंधित बढ़ती समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में (किशोरावस्था शिक्षा की) यह मांग बढ़ती जा रही है और एड्स महामारी के आ जाने की वजह से यह ज़रूरत और भी फौरी दिखाई देने लगी है।’
एनसीईआरटी 1, पृष्ठ 3

तुलनात्मक रूप से बाद में तैयार की गई ‘युवा ’ जैसी सामग्री में एक अनुशासित व्यक्तित्व गढ़ने का लक्ष्य तय किया गया है जो पूर्व–निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों (ऐसे सुरक्षित उद्देश्य जो समाज में न्याय और समानता के बुनियादी मुद्दे नहीं उठाते) की प्राप्ति के लिए काम कर सके।

‘बढ़ती उम्र के किशोर–किशोरियों को ऐसे शैक्षणिक अनुभवों में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है जो उन्हें बुनियादी साफ–सफाई और स्वच्छता रखने, आपसी संबंधों में सही ढंग से सुनने और संप्रेषित करने तथा (यौनिक रूप से) संयम से रहने और सुरक्षित संभोग करने या तम्बाकू मुक्त स्कूल या समुदाय रचने की क्षमता प्रदान कर सके।’
युवा 1, पृष्ठ 18

इस तरह की पद्धति के साथ समस्या यह आती है कि उसमें किशोर–किशोरियों को अपने–आप में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। उनका महत्व केवल इसी संदर्भ में होता है कि वे समाज में कुछ खास बदलाव ला सकते हैं। इसमें ‘सामाजिक इंजीनियरिंग’ का खतरा दिखाई देता है जो सरकार के हित में है जनता के हित में नहीं। (इस संदर्भ में युवाओं के हित में नहीं)। यह अधिकार आधारित समझ के विपरीत है जिसमें व्यक्तियों/समुदायों तथा उनके पूर्ण विकास को केंद्र में रखा जाता है।

3.1.2 | एचआईवी और एड्स पर ज़ोर

इन सामग्रियों की विषयवस्तु पर एचआईवी और एड्स के एजेंडा की सर्वव्यापी छाया इस उपकरणवादी तर्क को और भी स्पष्ट कर देती है। नई सामग्री में तो एचआईवी और एड्स को और भी ज़्यादा जगह दी गई है। एचआईवी और एड्स आधारित सामग्री खास तरह की नैतिकतावादी और भय पैदा करने वाली सोच को जन्म देती है (विस्तार से आगे देखें) जिसका युवाओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उकसाने वाली इस सामग्री में एचआईवी और एड्स के बारे में गंभीर तथ्यात्मक त्रुटियां भी दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल की सामग्री में यौन संक्रामक बीमारियों (एसटीडी), एचआईवी, एड्स और किशोरावस्था में गर्भधारण, सभी को एक–दूसरे से उलझा दिया गया है।

‘कई बार युवक–युवतियां गुप्त रोगों की चपेट में आ जाते हैं और गर्भवती हो सकते हैं, इन कारणों से एड्स पैदा हो सकता है।’ लाइफस्टाइल एजुकेशन, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

नई सामग्री में मानव शरीर तथा कॉन्डोम के इस्तेमाल के बारे में सूचनाओं का ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है (जिसे अकसर बहुत ‘बेबाक’ बताया जाता है)। इस सामग्री में एक तरफ तो सेक्स के बारे में खुलकर बात करने पर ज़ोर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ लिखित सामग्री तैयार करनेवालों की बेचैनी नज़र आती है। जिस पन्ने पर युवाओं को यौन संबंधों से दूर रहने का पाठ पढ़ाया जा रहा है उसी पन्ने पर कॉन्डोम के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी हुई है।

इन अंतर्विरोधों का एक कारण शायद यह है कि एचआईवी और एड्स के एजेंडा पर दिया जा रहा ज़ोर मोटे तौर पर पश्चिम से आया है। वैश्वीकरण के संदर्भ में किसी भी परिघटना में वैश्विक और स्थानीय आयामों का मिश्रण स्वाभाविक है। ऐसा केवल एचआईवी और एड्स के मामले में ही नहीं है। और न ही हम किसी भी संदर्भ में वैश्विक प्रभावों को अपने आप में कोई समस्या मानते हैं। बल्कि इससे शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में यौनिकता पर चर्चा शुरू करने का मौका भी पैदा हो सकता था। परंतु इसकी बजाय हमारी प्रतिक्रिया बड़ी हड़बड़ी भरी रही है। हमने इस बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है कि एचआईवी और एड्स तथा यौनिकता से जुड़े मुद्दों को किस तरह संबोधित किया जाना चाहिए। जिस सामग्री की समीक्षा की गई उसमें यह बात साफ दिखाई देती है। इस सामग्री का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों की नकल और जोड़–तोड़ का नतीजा दिखाई देता है।

एचआईवी और एड्स रोकथाम के संकुचित एजेंडा के लिहाज़ से भी इन दस्तावेज़ों में कई कमियां हैं। व्यवहार में बदलाव लाना एक जटिल और बेहद चुनौतीपूर्ण उद्देश्य है। लोगों के यथार्थ से कटे हुए नैतिकतावादी उपदेश कभी असरदार नहीं होते। युवा, अविवाहित लोगों से सेक्स के मामले में परहेज़ रखने

का आह्वान करना न केवल अपने आप में समस्यापरक है बल्कि यह रणनीति इसलिए भी कारगर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे देश में एचआईवी का प्रसार प्रायः वैवाहिक संबंधों के ज़रिए ही हो रहा है।

यह सामग्री जेंडर और यौनिकता के आधार पर लोगों को हाशिए पर धकेल देने की प्रवृत्तियों और इस आधार पर व्यक्तियों और समुदायों के मानवाधिकार हनन के बारे में भी चुप है। महिलाएं, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर और समलैंगिक इन्हीं हाशियाई श्रेणियों में आते हैं। यहां तक कि सूचनाओं के स्तर पर कॉन्डोम के मुद्दे को उठाने में भी इन सामग्रियों में हिचकिचाहट प्रतीत होती है। कॉन्डोम का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बारे में केवल प्रतिबंधित सामग्री और तारशी के दस्तावेज़ों में ही जानकारी दी गई है।

3.1.3 | प्रजनन स्वास्थ्य पर सीमित ज़ोर, यौन स्वास्थ्य और यौन अधिकारों की उपेक्षा

एचआईवी और एड्स पर जितना भारी ज़ोर दिया गया है, खासतौर से नई सामग्री में, उसका परिणाम यह हुआ है कि यौन संक्रामक बीमारियों (एसटीडी) और आरटीआई को भी संबोधित नहीं किया गया है। युवाओं के बीच काम करने वालों का अनुभव है कि किशोरियों के पास मासिक चक्र से जुड़ी समस्याओं, योनि संक्रमण और मूत्र संबंधी समस्याओं पर बहुत सारे सवाल होते हैं। परंतु यह सामग्री इन चिंताओं पर ध्यान नहीं देती। ये सामग्रियां किशोरावस्था में सामने आने वाले प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की भी कई तरह से उपेक्षा करती हैं।

डब्ल्यूएचओ ने प्रजनन स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया है :

> जीवन की सभी अवस्थाओं में प्रजनन तंत्र से संबंधित सभी मामलों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलक्षेम की अवस्था। प्रजनन स्वास्थ्य का आशय इस बात से है कि लोग संतोषजनक एवं सुरक्षित यौन जीवन प्राप्त कर सकें और उनके पास अपनी प्रजनन क्षमता के बारे में तथा यह फ़ैसला लेने की स्वतंत्रता हो कि क्या वे बच्चे पैदा करना चाहते हैं और अगर हाँ तो कब और कितनी बार। इसमें पुरुषों और महिलाओं का यह अधिकार निहित है कि उन्हें अपनी इच्छा के आधार पर परिवार नियोजन के सुरक्षित, असरदार, सस्ते और स्वीकार्य साधन मिलें। महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार भी मिलना चाहिए ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के चरणों से सुरक्षित गुजर सकें।[19]

भय और शर्मिंदगी पैदा करने वाली नकारात्मक सोच को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि ये सामग्रियां कुशलक्षेम और खुशहाली को बढ़ावा देती हैं। बल्कि भय और शर्म का यह अहसास तो कुशलक्षेम के रास्ते में भारी रुकावट है। ये सामग्रियां युवाओं को 'कब और कितनी बार' के बारे में फ़ैसला लेने में मदद

19. विश्व स्वास्थ्य संगठन, 20 मई 2008 को www.who.int/reproductive-health/hrp/progress/45/prog/45.pdf पर देखा।

नहीं करतीं बल्कि केवल संयम और निषेध पर ज़ोर देती हैं। जहां तक सूचनाओं की बात है तो ज़्यादातर सामग्रियों में गर्भ–निरोध से संबंधित विवरण नहीं दिए गए हैं। ये दस्तावेज़ प्रजनन स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण आयाम को संबोधित करने में विफल रहे हैं। प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह सामग्री शारीरिक बनावट एवं एचआईवी और एड्स जैसे कुछ खास पहलुओं को ही संबोधित करती हैं। लिहाज़ा, हम ये भी नहीं कह सकते कि इन सामग्रियों का जोर 'प्रजनन स्वास्थ्य' पर है क्योंकि यह क्षेत्र इन सामग्रियों में उठाए गए मुद्दों के मुकाबले काफ़ी विस्तृत होता है।

यौनिकता को केवल इस उद्देश्य से संबोधित किया गया है कि हमारे युवा अपनी यौन आकांक्षाओं/लालसाओं को नियंत्रित करना सीख लें। हालिया सामग्री में यौनिकता पर चर्चा का एक मकसद ये है कि लड़कों को हस्तमैथुन और स्वप्नदोष संबंधी भय से मुक्त कराया जाए। बेशक, ये अच्छी बात है लेकिन यह सामग्री उस सामाजिक परिवेश के बारे में पूरी तरह खामोश है जो लड़कियों की यौनिकता को या तो पूरी तरह नज़रअंदाज़ करता है या उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जेंडर आधारित एक और फर्क बाल यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर दिखाई देता है। बाल यौन उत्पीड़न की चर्चा प्रायः इस मान्यता पर आधारित दिखायी देती है कि केवल लड़कियां ही बाल यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। यह स्थिति तब है जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल यौन उत्पीड़न के बारे में कराए गए अध्ययन में 12,447 पीड़ितों में से 52.94 प्रतिशत लड़के थे।[20]

3.1.4 | अनुशासन एवं नियंत्रण

युवाओं के व्यवहार को नियंत्रित और अनुशासित करने की चाह हालिया किशोरावस्था शिक्षा सामग्री में लगातार दिखाई देती है। यह इच्छा नाना प्रकार से परिलक्षित होती है। इस लिहाज़ से ये सामग्रियां युवाओं में भय पैदा करने की कोशिश करती हैं। नियंत्रण की इच्छा और भय पैदा करना, ये दोनों बातें एचआईवी और एड्स की रोकथाम के वास्ते व्यवहार में परिवर्तन के एजेंडा से जुड़ी हुई हैं।

किशोरावस्था को भी जीवन के एक बहुत सदमे भरे चरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

> ‘जानकारी और निपुणता का अभाव, सुरक्षित और सहायक वातावरण का अभाव, यौन सक्रियता, मादक पदार्थों का सेवन, हिंसा और चोट, कम उम्र में तथा अनिच्छित गर्भ, एचआईवी तथा अन्य यौन संक्रामक बीमारियों की आशंका किशोर–किशोरियों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा पैदा करती है।’
> युवा 1, पृष्ठ 17

20. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्टडी ऑन चाइल्ड एब्यूज, 2007

युवाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों की सूची बहुत लंबी है। इस सामग्री के हवाले से नीचे इस बात का उदाहरण दिया गया है कि विद्यार्थियों को सोने से पहले क्या–क्या नहीं करना चाहिए।

> ‘शाम चार बजे के बाद कॉफी और सोडा आदि ऐसे पेय पदार्थ न लें जिनमें कैफीन का अंश होता है। सोने से पहले रोचक चीज़ें पढ़ने और कंप्यूटर गेम खेलने से बचें।’
> युवा 1, पृष्ठ 8

युवाओं के जीवन के एक–एक आयाम को अनुशासित और नियंत्रित करने की यह चाह बेहद आपत्तिजनक है। यह चेष्टा इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है कि शिक्षा उपदेशात्मक नहीं होनी चाहिए। यहां हम यौनिकता शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि ये सामग्रियां युवाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा करें। इसकी वजह ये है कि यौनिकता से जुड़े मुद्दों पर पहले ही गहरे अपराधबोध और पूर्वाग्रहों की भारी धुंध छाई हुई है। लिहाज़ा, ज़रूरत एक ऐसा वातावरण रचने की है जहां युवा खुद को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें और अपने संदेह और चिन्ताओं के जवाब ढूंढ़ सकें।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन सामग्रियों में संयम या यौन संबंधों से परहेज़ पर बार–बार ज़ोर दिया गया है।

> ‘आज उन सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को और पुष्ट करने की ज़रूरत है जो विवाह–पूर्व एवं विवाह के बाहर यौन संबंधों पर अंकुश लगाते हैं तथा मर्यादित यौन व्यवहार और विपरीत लिंग के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं।’
> एनसीईआरटी 1, पृष्ठ 8

गौरतलब है कि संयम जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में दी जा रही दलीलें न केवल बीमारियों की रोकथाम या गर्भधारण से बचने के बारे में हैं बल्कि विपरीत लिंग (जिसका आशय दरअसल लड़कियों से है) के प्रति सम्मान पैदा करने से भी संबंधित हैं।

> ‘यदि विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंधों को सकारात्मक रूप से निर्धारित करना है तो यौन लालसा को नियंत्रित रखना होगा।’
> एनसीईआरटी 2, पृष्ठ 35

‘विपरीत लिंग’ के प्रति सम्मान रखने में निश्चय ही कोई परेशानी नहीं परंतु यह सवाल इस बात से नहीं जोड़ा जा सकता कि युवाओं को अपनी ‘यौन लालसा’ पर नियंत्रण रखना चाहिए। सम्मान और प्रतिष्ठा जैसे विचारों का सहारा लेते हुए यह सामग्री फुसलाने के अंदाज़ में इस बात की ओर संकेत कर रही है कि युवा पुरुष या तो औरतों का सम्मान करते हैं या उनके उपभोग की कामना रखते हैं। यह तर्क इस मान्यता पर

आधारित है कि किसी युवती के प्रति एक युवक की पहलकदमी हमेशा अवांछित होती है और युवती कभी भी उसका सकारात्मक उत्तर नहीं देती। इस तरह, लड़कों को अतिक्रमणकारी और लड़कियों को निष्क्रिय व दब्बू साबित कर दिया जाता है। एक ऐसे संदर्भ में यह सोच खासतौर से समस्याप्रद हो जाती है जहां समाज में पक्षपातपूर्ण रूढ़ छवियों के भीतर युवतियों की यौनिकता को हाशिये पर ढकेल कर रखा जाता है। यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न वास्तव में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के ऐसे उपकरण हैं जिनका पुरुषों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है –– इस हकीकत का सहारा लेते हुए यह सामग्री चतुराईपूर्वक और खतरनाक ढंग से जेंडर समानता और यौन कामना के मुद्दों को एक–दूसरे में उलझा देती है।

इस अनुशासन और नियंत्रण की ज़रूरत क्यों है यह बात निम्नलिखित उदाहरण में बड़े बेबाक ढंग से उभरती है।

> ‘यौन लालसा एक बुनियादी उद्वेग है जिस पर मानव जाति का अस्तित्व और स्थायित्व निर्भर है। यह केवल दैहिक सुख का साधन नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के विकास का एक सकारात्मक बल है। यह साझा हितों और विचारों वाले स्त्री–पुरुषों के बीच साझेदारी, ज़िम्मेदारियों की परस्पर स्वीकार्यता, आत्म–साकार और प्रेम का संबल है। यही वजह है कि समाज पुरुष और स्त्री के संबंधों पर गहरी नज़र रखता है। समाज के साझा हित, एक सुखद पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत विकास के लिए दोनों को ही सामाजिक संहिताओं व नियमों का पालन करना चाहिए।’
> एनसीईआरटी 2, पृष्ठ 34

यौन गतिविधियों में सक्रिय हो जाने से संबंधित चेतावनियां सिर्फ बीमारी और गर्भधारण की आशंका तक ही सीमित नहीं हैं। ये चेतावनियां सामाजिक ‘सुरक्षा’ (अभिभावकों की रजामंदी, विवाह संस्था आदि) के खत्म हो जाने की आशंका तक फैली हुई हैं।

> ‘किशोर–किशोरियों को समझाया जाना चाहिए कि कुछ सामाजिक प्रथाओं में अंतर्निहित सुरक्षात्मक गुण होते हैं। एक व्यक्ति के प्रति निष्ठावान होना, वैवाहिक संबंधों में सेक्स की सामाजिक स्वीकार्यता आदि इसी तरह के मूल्य हैं।’
> युवा, खंड 2, पृष्ठ 77

ज़ाहिर है कि ये सामग्रियां मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाले सामाजिक कायदे–कानूनों को बढ़ावा दे रही हैं –– भले ही वह व्यवस्था किसी भी तरह की गैर–बराबरी और लैंगिक अन्याय पर ही क्यों न खड़ी हो। इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि व्यक्तिगत हित और पारिवारिक हित एक ही होते हैं। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि परिवार के हित और समाज के हित भी एक ही होते हैं। युवाओं (संभवतः लड़कियों) को यह भी सिखाया जा रहा है कि अगर वे कायदे से रहें और नियमों का पालन करें तो उन्हें सुरक्षा छिनने का भय नहीं रहेगा।

यौन कामना को नियंत्रित करने और यौनिकता को सामाजिक संरक्षण एवं प्रजनन के स्तर पर केवल उपकरणवादी अर्थों में देखने की यह गहरी प्रवृत्ति यौनिकता के भीतर आनंद के पहलू का निषेध कर देती है। इससे यौनिकता पर नैतिक पहरेदारी का आधार भी पैदा होता है जो हाल के सालों में काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों और कॉलेज शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिए ड्रेस कोड, वेलेंटाइन डे के ख़िलाफ़ होने वाले विरोध, सार्वजनिक स्थानों पर प्रेमी युगलों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान आदि इसके खतरनाक उदाहरण हैं। इस तरह की सामग्री यौनिकता को 'अनुशासित करने' की खतरनाक प्रवृत्ति को और पुष्ट करती है।

उपरोक्त आग्रहों में कई अनकही मगर बेहद आपत्तिजनक मान्यताएं निहित हैं :

- यौन गतिविधि हमेशा असुरक्षित होती है जिससे वह बीमारियों/और या गर्भधारण का कारण बन जाती है।
- यौन गतिविधि का मतलब केवल पुरुष और स्त्री के बीच लिंग–योनि संभोग से होता है जिसकी वजह से गर्भ ठहरने की आशंका हमेशा ज़्यादा रहती है।
- एक स्त्री या एक पुरुष के साथ विवाह ही सेक्स के लिए एकमात्र वैध परिधि होती है।

3.1.5 | व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी, न कि सामाजिक उत्तरदायित्व

खासतौर से नई सामग्री में मौजूदा परिस्थितियों का भार केवल व्यक्ति के ऊपर डाल दिया गया है। उदाहरण के लिए, हिंसा के मामले में, लड़कियों से आह्वान किया जा रहा है कि वे बहादुर बनें और आत्मरक्षा के साधनों से हिंसा का मुकाबला करें।

> 'युवा इस बात को समझता है कि दिल्ली लड़कियों और महिलाओं के लिए और सुरक्षित स्थान बन सकती है। अब यह उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि वे अपनी रक्षा करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर सख्ती से 'नहीं' कह सकें।'
> युवा खंड 1, पृष्ठ 13

मध्य प्रदेश की पाठ्यपुस्तकें तो लड़कियों को यहां तक निर्देश देती हैं कि :

> 'सुनसान जगह अकेले मत जाओ। ऐसे समय पर कोई परिचित ज़रूर साथ होना चाहिए। बाहर निकलने से पहले घर वालों को ज़रूर बता दो।'
> 'आपका रूप–रंग और कपड़े सौम्य होने चाहिए। तड़क–भड़क वाले या देह–उघाड़ू कपड़े बिलकुल नहीं पहनने चाहिएं।'
> 'अपने भीतरी वस्त्र (ब्रा और पेन्टी) खुले में कभी न सुखाएं।' किशोरावस्था शिक्षा, एससीईआरटी, 2000
> 'ड्राइवरों और घर के नौकरों से ज़्यादा बात मत करो।'
> किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण, राज्य शिक्षण केंद्र, 2005–06.

पारस्परिक पद्धति, उपदेशात्मक विषयवस्तु...

नई सामग्री की एक खासियत यह है कि उसमें पारस्परिकता (इन्टराक्शन) पर ज़ोर दिया गया है। इनमें छोटे समूहों में चर्चा, रोल प्ले, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, बहस, पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिता तक बहुत सारी खेल और गतिविधियां दी गई हैं। शिक्षक की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है। शिक्षक से अपेक्षा है कि वे गैर–निर्णयकारी और हमदर्दी का रवैया अपनाएं। एक खुले और दोस्ताना माहौल की रचना पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है ताकि विद्यार्थी सवाल पूछ सकें और सहज महसूस करें। परंतु समीक्षा से पता चलता है कि ये पारस्परिक तरीके वास्तव में उपदेशात्मक हैं। पहली समस्या इन एक्सरसाइज़ों के पीछे निहित उद्देश्यों से जुड़ी हुई है। ये उद्देश्य अकसर उपकरणवादी लक्ष्यों (रोग एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में परिवर्तन) को प्राप्त करने से संबंधित हैं। जब उद्देश्य उपकरणवादी होता है तो साधन भी विद्यार्थी के दृष्टिकोणों तथा अनुभवों के लिए बहुत सीमित जगह छोड़ते हैं। दूसरा और संबंधित उद्देश्य (कम प्रत्यक्ष) मौजूदा सामाजिक कायदे–कानूनों के अधिक से अधिक अनुपालन पर केंद्रित है। इस एजेंडा में भी विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती। तीसरी बात, इन एक्सरसाइज़ों के साथ 'अपेक्षित प्रतिक्रियाओं' का विस्तृत वर्णन किया गया है। हालांकि शिक्षकों व फेसिलिटेटर्स को मदद देने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस संदर्भ में वे काफ़ी समस्याप्रद दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों को खुलकर बोलने के लिए तो कहा गया है परंतु फौरन ही उन्हें 'अपेक्षित प्रतिक्रियाओं' की कसौटी पर भी कस दिया गया है जो मौजूदा सामाजिक मान्यताओं को पुष्ट करने के साधन हैं।

हिंसा के लिए न केवल लड़कियों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है बल्कि इस बारे में कोई व्यावहारिक जानकारी भी नहीं दी गई है कि यदि हिंसा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए।

पश्चिम बंगाल की लाइफस्टाइल एजुकेशन पुस्तक में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि अगर उनके साथ किसी तरह का उत्पीड़न हो तो युवाओं को क्या करना चाहिए। यहां व्यक्तिगत और सीमित कार्रवाई की संभावना पर ज़ोर दिखाई देता है, मसलन, पीड़ित के प्रति 'हमदर्दी' या 'उसे विरोध करने की शिक्षा' देनी चाहिए। (लाइफस्टाइल एजुकेशन, पृष्ठ 209)

व्यक्ति को केवल हिंसा के मामले में ही ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। यह इस विमर्श का एक सामान्य हिस्सा है। इसमें उन व्यवस्थाओं के उत्तरदायित्व पर कोई चर्चा नहीं की गई है जो अधिकारों को साकार करने के लिए बनाए गए हैं। इस विषय में भी पूरी ज़िम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर डाल दी गई है। उससे अपेक्षा की जाती है कि जो बदलाव संभव हैं उन्हें वह करे और जो उसके नियंत्रण में नहीं हैं उन्हे छोड़ दे।

युवा नामक सामग्री में स्कूल में विद्यार्थियों के प्रेरित या प्रेरित न होने के कारणों से जुड़ी एक गतिविधि है। इस बारे में दिए गए 39 में 24 कारण स्वयं विद्यार्थियों से संबंधित थे। एक भी कारण स्कूल के ढांचे, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता इत्यादि के बारे में नहीं था।

'बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते हैं। उनमें से कुछ विद्यार्थियों के नियंत्रण में होते हैं और कुछ उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं। ज़्यादा प्रभावी तरीका यही है कि उन कारकों को बदला जाए... जो विद्यार्थी के अपने नियंत्रण में हैं।' युवा 1, पृष्ठ 3

विद्यार्थियों से यहां तक आह्वान किया गया है कि वे 'चुनौतियों से निपटें और खुद को उनके अनुसार ढालें, उन्हें स्वीकार करें।' युवा 1, पृष्ठ 45

अनुशासन और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है?इसका एक कारण शायद युवाओं को उभरती वैश्विक बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की ज़रूरत दिखाई देती है। 'युवा' सामग्री में एक पूरा अध्याय ही इस बारे में है जिसका शीर्षक है 'लेट अस हैव ए काट्रेक्ट' (युवा, खंड 1)

3.1.6 | यौनिकता का कोई सकारात्मक आयाम नहीं

ऊपर हम देख चुके हैं कि युवाओं के यौन व्यवहार को निर्धारित करने के लिए किस–किस तरह के नियम दिए गए हैं। इनमें यौनिकता की सकारात्मक व्याख्या कहीं नहीं है। ज़्यादातर सामग्रियों में इस बात को तो रेखांकित किया गया है कि युवाओं के भीतर यौन इच्छाएं होती हैं परंतु इस बात को केवल ये कहने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि इन इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।

इस लालसा से निपटने के लिए इन सामग्रियों में बहुत सारी 'रणनीतियां' सुझाई गई हैं।

'तेज़ हृदय गति और यौनांगों में गर्माहट जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाएं अनुभव हो सकती हैं। इस तरह की भावनाओं का पैदा होना और विपरीत जेंडर के किसी दोस्त की चाह स्वाभाविक है। यहां एक बार फिर मुद्दा यह है कि 'इन भावनाओं के बारे में हम क्या फ़ैसले लेते हैं?' उन्हें बताएं कि सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता का क्या महत्व होता है। कक्षा को बताएं कि दोस्ती में अपनी यौन भावनाओं को नियंत्रित करना किशोर–किशोरियों के लिए कितना ज़रूरी है। लड़कियां और लड़के, दोनों ही तय कर सकते हैं कि अपनी यौन भावनाओं को उन्हें कब पूरा करना है और कब नहीं करना है। इस बारे में चर्चा करें कि सेक्स में लिप्त हुए बिना भी यौनेच्छा अथवा रोमांटिक भावनाओं को किस तरह संभाला जा सकता है। यौन ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति के वैकल्पिक माध्यमों, जैसे खेल, क्लब आदि पर चर्चा करें।'

लाइफस्टाइल एजुकेशन में 'यौन संपर्क से बचने की पद्धतियां' इस प्रकार दी गई हैं :

'संभोग न करें या उसे विवाह तक के लिए स्थगित रखें।'
फूल भेंट करने या हाथ पकड़ने जैसे प्रेम की अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों को अपनाएं।
यदि सेक्स के लिए बहुत गहरा आग्रह किया जा रहा है तो दृढ़तापूर्वक 'ना' कहें।'
लाइफस्टाइल एजुकेशन, पृष्ठ 194

यदि आप किसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो उसे फूल भेंट करने की सलाह जीवन के लिए शिक्षा (नाको की सामग्री पर आधारित), मध्य प्रदेश में भी दी गई है।

ज़ाहिर है कि केवल 'नहीं' कहने की ताकत पर ज़ोर दिया जा रहा है।

कामना पर नियंत्रण की ठोस रणनीतियां सुझाने के लिए इस सामग्री में यौन आकांक्षा की अभिव्यक्ति के ख़िलाफ़ तर्क भी दिए गए हैं। यहां कामना और हिंसा के बीच घनिष्ठ संबंध दिखाया गया है। किशोरावस्था यौनिकता को इस तरह प्रस्तुत किया गया है मानो वह नियंत्रण से बाहर जाकर हिंसक रूपों में बिखर सकती है। यह तर्क न केवल युवाओं के प्रति अपमानजनक है बल्कि नारीवादियों और नारी आंदोलन द्वारा बहुत पहले स्थापित किए जा चुके इस उसूल के भी विपरीत है कि यौन हिंसा वास्तव में सत्ता का दुरुपयोग है न कि कामनाओं का।

'किशोर–किशोरियों का न केवल उत्पीड़न किया जाता है बल्कि अगर मौका मिले तो वे खुद भी यौन कामना पर अंकुश लगाने के सही तरीके ढूंढ़ने की बजाय अकसर खुद दुराचार में पड़ जाते हैं। क्योंकि उनके पास यौन ज्ञान नहीं होता इसलिए वे औरों के साथ दुराचार कर बैठते हैं।'
लाइफस्टाइल एजुकेशन, पश्चिम बंगाल

जहां इस तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई देता वहां भी एक ही वाक्य में यौन संतुष्टि से बलात्कार की ओर एक सहज संक्रमण मिलता है।

'पथभ्रष्ट आचरण... जब वे विशुद्ध शारीरिक स्तर पर यौन संतुष्टि चाहते हैं, जब बलात्कार और यौन हिंसा जैसे अमानवीय कृत्यों की खबर आती है और जब युवतियां छेड़खानी का शिकार बनती हैं।'
एनसीईआरटी 2, पृष्ठ 33

3.1.7 | विविधता की अस्वीकृति

लोगों में निहित भारी विविधता को नजरअंदाज़ करने के साथ–साथ ये सामग्रियां इस बारे में प्रचलित

मान्यताओं को भी पुष्ट करती हैं कि 'ऐसा ही हैं' और 'सामान्य' क्या होता है। यह एक ऐसा विमर्श है जिसकी चाहत है कि आज की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। विविधता को मान्यता न देने की सोच कुछ खास तरह के यथार्थ को पहले से चुन लेने की प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। इस चयन में समाज के ताकतवर तबकों का पक्ष स्पष्ट दिखाई देता है।

निम्नलिखित के अर्थों में विविधता को किसी तरह की मान्यता नहीं दी गई है –

- शहरी–ग्रामीण
- सामान्य शरीर
- जेंडर विविधता
- यौन कामनाएं
- 'परिवार'

शहरी उच्चवर्गीय पूर्वाग्रह

खासतौर से नई सामग्रियां इस मान्यता पर आधारित दिखाई देती हैं कि उनके पाठक शहरी और संपन्न वर्ग से हैं। इन सामग्रियों में दिए गए उदाहरणों से इस बात की पुष्टि होती है।

'बहुत सारे विद्यार्थी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदतें विकसित कर लेते हैं : घंटों टीवी देखना/वीडियो गेम खेलना, रात में टेलीफोन/इंटरनेट पर घंटों अपने दोस्तों से चैटिंग करते रहना।'
युवा खंड 1, पृष्ठ 7

शहरी संपन्न वर्ग पर ज़ोर पश्चिम बंगाल की सामग्री में भी स्पष्ट दिखाई देता है। पोषण संबंधी चार्ट में विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि वे नूडल, सलाद (पृष्ठ 51) और अंगूर (पृष्ठ 54) खाया करें। ऐनोरेक्सिया (पृष्ठ 112) जैसी बीमारियों, टेटू बनवाने के चलन (पृष्ठ 172), पार्टियों में जाने, लिफ्ट देने (पृष्ठ 172) और बीयर पिलाने (पृष्ठ 175) जैसी बातों का भी हवाला दिया गया है।

'सामान्य' देह

इस बात का बार–बार जिक्र दिखाई देता है कि किशोर–किशोरियों को अपने शरीर में किस तरह के 'सामान्य' बदलावों की उम्मीद करनी चाहिए। संभव है इसका इरादा किशोर–किशोरियों को इस बात का आश्वासन देना हो कि उन्हें दैहिक एवं अन्य परिवर्तनों की वजह से बेचैन नहीं होना चाहिए। परंतु साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया में ये तय किया जा रहा है कि 'सामान्य' क्या होता है।

यदि ये बदलाव 'सामान्य' जैसे नहीं हैं तो ऐसे बदलाव/खासियतों को 'असामान्य' की श्रेणी में रख दिया गया है। इससे 'असामान्यता' से जुड़ी बेचैनी, कलंक और भेदभाव पैदा होते हैं। यहां इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जीवन में जो विविधता दिखाई देती है उसे श्रेणियों में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि श्रेणियां अकसर बहुत सख्त होती हैं।

मिसाल के तौर पर, लड़कों और लड़कियों के मामले में 'सामान्य' परिवर्तनों को ही लीजिए। यहां दो तरह की समस्याएं हैः एक तो यह कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पुरुष के रूप में पैदा होते हैं और खुद को पुरुष मानते हुए बड़े होते हैं परंतु उनके शारीरिक गुण ऐसे होते हैं जिन्हें लड़कों के लिए 'सामान्य' नहीं माना जाता है, जैसे स्तन उभर आना। इसी तरह के लड़कियों के मामले में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इंटरसेक्स व्यक्ति भी होते हैं जिनके शरीर में दोनों तरह के यौनांग होते हैं या ऐसे युवा भी होते हैं जिनके यौनांग 'सामान्य' से कम विकसित होते हैं। न तो इन सामग्रियों में ऐसे युवाओं का कोई उल्लेख है और न ही वे 'लड़का' और 'लड़की' की जैविक श्रेणियों में आ सकते हैं।

इस सामग्री में सामान्य देह का आशय एक सक्षम देह से है। नई सामग्री में कुछ जगह विकलांग व्यक्तियों का तो उल्लेख किया गया है लेकिन यौनिकता के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जिस तरह विकलांगता को दिखाया गया है वह भी आपत्तिजनक है। इन सामग्रियों में विकलांग व्यक्तियों से ऐसी क्षमताएं विकसित करने की अपेक्षा की जा रही है जिनके सहारे वे अपनी विकलांगता की 'भरपाई' कर सकें।

'अनीता 17 साल की है। वह बैसाखी के सहारे चलती है। वह मध्यम वर्गीय परिवार से है...। वह बहुत लोकप्रिय है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। खाली समय में वह आस–पड़ोस के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है। सप्ताहांत में उसे अपने दोस्तों के साथ बैसाखियों के सहारे पड़ोसी सरकारी केंद्र तक जाते धीरे–धीरे शांतिपूर्वक चलते हुए देखा जा सकता है जहां वह बच्चों को कंप्यूटर सिखाती है...। उसे बैसाखियों से कोई परेशानी नहीं है और वह बच्चों और बड़ों, सभी में समान रूप से लोकप्रिय है।'
युवा खंड 1, पृष्ठ 119

जेंडर विविधता

जेंडर विविधता का परिदृश्य ऐसा होता है कि केवल 'लड़के'/'लड़की' या 'पुरुष'/'स्त्री' कहने भर से समूचे यथार्थ को नहीं समझा जा सकता। फिर भी ज़्यादातर सामग्री इसी द्वैध यानी दो खाकों में फंसी दिखाई देती है। हम जानते हैं कि समाज के बहुत सारे सदस्य लड़के के रूप में पैदा होते हैं परंतु अपने आप को लड़का/पुरुष महसूस नहीं करते और इसी तरह बहुत सारी लड़कियां/महिला के रूप में खुद को नहीं देखतीं। इस सामग्री में इन सच्चाइयों पर कोई चर्चा नहीं है।

यौन इच्छा

जैसा कि पीछे ज़िक्र किया जा चुका है कि ये सामग्रियां यौन क्रियाओं को प्रजनन का साधन भर मानती हैं। इच्छा और आकर्षण के स्तर पर भी ये सामग्रियां एक ऐसी दुनिया प्रस्तुत करती हैं जहां सिर्फ एक ही तरह की कामना संभव है –– पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण। यह भी मान लिया गया है कि 'जो जिसे पसंद करता/करती है' वह जीवन भर उसी को पसंद करता/करती है। अगर एक औरत पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है तो वह हमेशा पुरुषों की तरफ ही आकर्षित रहेगी। यह सोच यथार्थ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

इन सामग्रियों में समलैंगिकता शब्द को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया गया है। समीक्षा के लिए चुनी गई तकरीबन सारी सामग्री में इसका एक–दो जगह उल्लेख ज़रूर आया है। परंतु ज़्यादा काबिले गौर बात यह थी कि इन दस्तावेज़ों में केवल 'आकर्षण' कहने की बजाय बार–बार 'विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण' पर ज़ोर दिया गया है।

'किसी पर मन आ जाना/क्रश : जब कोई युवा धन, सत्ता, शिक्षा या उम्र की दृष्टि से भिन्न हैसियत वाले विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को पसंद करने लगे या उसको आदर्श बनाने लगे।'
'रोमांस : वह होता है जिसमें व्यक्ति विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को पसंद करने लगे...।'
युवा खंड 1, पृष्ठ 150

'लिहाज़ा लड़कों और लड़कियों के बीच परस्पर आकर्षण पूरी तरह सामान्य और सार्वभौमिक व्यवहार है।'
'... विपरीत लिंग के/की सदस्यों में अचानक रुचि पैदा हो जाना...।'
एनसीईआरटी 1, पृष्ठ 5

ज़्यादातर सामग्री में सेक्स वर्कर्स का ज़िक्र तक नहीं है। यहां तक कि एचआईवी और एड्स के संदर्भ में भी नहीं।

परिवार

सभी दस्तावेज़ों में परिवार का मतलब पिता, माता और बच्चों के रूप में लिया गया है। इस सामग्री में ऐसे परिवार नहीं हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं, या मां और बाप में से केवल एक ही अभिभावक है। यहां तक कि संयुक्त परिवारों पर भी विचार नहीं किया गया है। इन सामग्रियों में अंतरंग संबंधों के बारे में भी एक खास सोच पर लगातार ज़ोर दिखाई देता है। यह सोच इस बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को शादी करनी चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सामग्री इसका एकमात्र अपवाद थी।

'विवाह जीवन का एक पहलू है और उसे एकमात्र विकल्प तथा जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए।'
एनसीईआरटी 3, पृष्ठ 16

इस बात पर भी पूरा ज़ोर है कि विवाह जीवन भर का संबंध होता है। तलाक का या तो उल्लेख ही नहीं किया गया है और अगर उल्लेख है भी (जैसे पश्चिम बंगाल की सामग्री में) तो वहां भी इसे सबसे अवांछित विकल्प के रूप में दर्शाया गया है।

एकल पति/एकल पत्नी के संबंधों को ही सहज मान लिया गया है और/उस पर ज़ोर दिया गया है।

3.1.8 | जेंडर पर अपर्याप्त ज़ोर

हम पहले ही देख चुके हैं कि यह सामग्री लड़कियों को लड़कों की ओर से अनचाही पहलकदमी और उनके आकर्षण की निष्क्रिय शिकार के रूप में प्रस्तुत करती है। हमने यह भी देखा कि इन सामग्रियों में लड़के और लड़की, इन दो श्रेणियों के अलावा जेंडर की विविध अभिव्यक्तियों को सिरे से नज़रअंदाज किया गया है। इन सामग्रियों में जेंडर संबंधी सूचनाओं को कई प्रकार से विकृत भी किया गया है। किशोरावस्था शिक्षा (मध्य प्रदेश) में स्त्री प्रजनन तंत्र का वर्णन करते हुए 'कौमार्य' को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बना दिया गया है। इसमें सवाल उठाया गया है कि 'कुंआरी लड़की का क्या अर्थ होता है?' इस सवाल का जवाब देते हुए संभोग के समय योनिच्छद के फटने का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें सिर्फ एक वाक्य है जहां इस बात का जिक्र आता है कि यह झिल्ली माहवारी, ऑपरेशन या किसी चोट की वजह से भी फट सकती है। बहस के लिए एक और शीर्षक सुझाया गया है –– 'क्या शादी के समय लड़की कुंआरी होनी चाहिए?'

यह भी देखने में आया है कि यह चर्चा अकसर तकनीकी किस्म की हो गई है और किसी भी मुद्दे के जेंडर संबंधी आयामों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मासिक चक्र के बारे में तो सूचना दी गई है परंतु इस बारे में नहीं बताया गया है कि लड़कियों और महिलाओं को कैसे इससे जुड़े सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह, जहां बच्चे के लिंग का पता लगाने (XX, XY क्रोमोसोम) के लिहाज़ से वहां भी इस मुद्दे के सामाजिक आयामों पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

यह भी देखने में आया है भले ही इस सामग्री में जेंडर से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है परंतु कुल मिलाकर यह चर्चा काफ़ी सतही, सांकेतिक और प्रायः बेहद विकृत है। जेंडर आधारित भेदभाव पर बहुत कम

ध्यान दिया गया है, इस तरह के भेदभावों के स्वरूप और विविधता का विवरण तो बिलकुल नहीं है। इस बात का विश्लेषण भी नहीं है कि जेंडर आधारित भेदभाव क्यों होता है। इसके विपरीत हमें ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनमें दरअसल लड़कियों को ही अपने साथ होने वाली हिंसा के लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है। जेंडर संबंधों के लिहाज़ से इनमें से कुछ सामग्रियां बेहद अपमानजनक हैं।

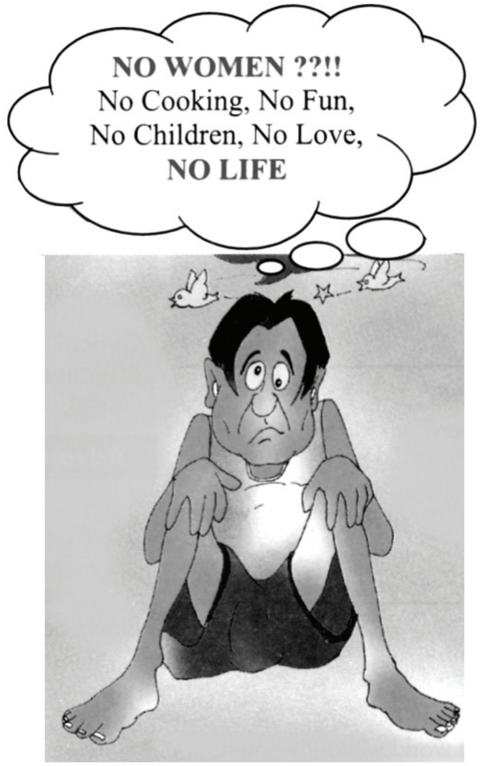

युवा 1 पृ. 156

3.2 | अन्य चुनिंदा किशोरावस्था शिक्षा / यौनिकता शिक्षा सामग्रियों की समीक्षा

जैसा कि पीछे ज़िक्र किया गया है, हमने किशोरास्था / यौनिकता शिक्षा से संबंधित कुछ अन्य दस्तावेज़ों का भी विशलेषण किया है।

इस क्रम में सबसे पहले हम मध्यप्रदेश में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा निकाली गई सामग्री पर विचार करेंगे। एकलव्य से संबद्ध अनु गुप्ता द्वारा की गई इस समीक्षा की टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे सरकारी एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों के रवैये में फर्क पता चलता है। गैर–सरकारी संगठनों ने जो सामग्री तैयार की है उसमें कुछ अच्छी बातें तो दिखाई देती हैं परंतु इन सामग्रियों में भी सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित सामग्री की कुछ मुख्य कमियां बनी रह गई हैं। नई दिल्ली स्थित गैर–सरकारी संगठन तारशी द्वारा 1999 में प्रकाशित की गई नीली किताब (15 साल से अधिक उम्र के लिए) और लाल किताब (10–14 साल की उम्र के लिए) की अलग से समीक्षा करना ज़रूरी है क्योंकि शेष सामग्री के मुकाबले इन पुस्तकों में यौनिकता के मुद्दों को सकारात्मक ढंग से संबोधित किया गया है। इसके साथ ही हमने यूनिसेफ और नाको द्वारा तैयार की गई सामग्री पर भी टिप्पणियां दी हैं हालांकि यह सामग्री कई राज्यों में प्रतिबंधित है।

3.2.1 | गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित और मध्यप्रदेश में इस्तेमाल की जा रही सामग्री का विश्लेषण

इन सामग्रियों में अध्यापकों के लिए मैनुअल और किशोर–किशोरियों के लिए पाठ्य सामग्री शामिल है।[21] सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई सामग्रियों के विपरीत इन गैर–सरकारी संगठनों की सामग्री में एचआईवी और एड्स पर कम ज़ोर दिया गया है और प्रजनन स्वास्थ्य पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। कई दस्तावेज़ों में एचआईवी और एड्स का ज़िक्र तक नहीं है। जेंडर इन दस्तावेज़ों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कई दस्तावेज़ों में शुरू से अंत तक जेंडर का दृष्टिकोण मौजूद है। इन पुस्तकों में लड़कियों के प्रति प्राथमिकता, यौन संक्रामक बीमारियों तथा आरटीआई से महिलाओं पर पैदा होने वाले खतरे, आवाजाही, निर्णय प्रक्रिया, मासिक धर्म और नपुंसकता आदि का जेंडर आधारित विश्लेषण और महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा जैसे मुद्दों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। प्रजनन अंगों की बनावट और शरीर विज्ञान से

21. बेटी करे सवाल, एकलव्य, मध्य प्रदेश, 1997
सामाजिक लिंगभेद और हम, सहयोगिनी ट्रस्ट, मध्य प्रदेश, 2003
किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम –– एक प्रयोग (अप्रकाशित रिपोर्ट), एकलव्य, मध्य प्रदेश, 2002
किशोरों के मुख से (अप्रकाशित रिपोर्ट), एकलव्य, मध्य प्रदेश, 2002
भविष्य का चुनाव, सीईडीईपीए, भारत, 2003
लड़की सयानी हो गई (स्लाइड शो), मराठी विज्ञान परिषद्, मुंबई (मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जा रहा है)
पारो की कहानी (फ्लिप चार्टस), केयर इंडिया

संबंधित जानकारियां भी दी गई हैं। युवाओं की हिस्सेदारी और उनके अनुभवों के आदान–प्रदान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। इन दस्तावेज़ों की एक खासियत यह है कि वे प्रायः किशोर–किशोरियों के जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित हैं। उनमें शहरी, उच्च वर्गीय पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देते जोकि सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित सामग्री में अकसर पाए गए हैं। कुछ सामग्री में ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के परिवेश को संबोधित किया गया है ताकि दोनों पृष्ठभूमियों के किशोर–किशोरियां उन्हें समझ सकें।

परंतु इन दस्तावेज़ों की भी कई सीमाएं हैं। मसलन, इनमें भी यौन अधिकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। ज़्यादातर सामग्री में आनंद और यौनिकता के सकारात्मक आयामों पर खुलकर चर्चा नहीं की गई है। अपने लिंग वाले व्यक्तियों की चाह, जेंडर ट्रांसग्रेशन, सेक्स वर्क और विकलांगता को भी संबोधित नहीं किया गया है।

3.2.2 | लाल किताब और नीली किताब, तारशी

तारशी द्वारा निकाली गई लाल किताब और नीली किताब बाकी सभी सामग्रियों के मुकाबले गुणात्मक रूप से भिन्न दिखाई देती हैं। इनके पीछे निहित सोच सकारात्मक और गैर–उपकरणवादी दिखाई देती है।

> "हमारी राय में यह महत्वपूर्ण बात है कि आपको ऐसी सूचनाएं मिलें जिनसे आपको सुखी, स्वस्थ जीवन जीने और उस पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सके।"
> लाल किताब, पृष्ठ 2

> "उत्तेजना, गर्माहट, सनसनी, जोश, आनंद, कोमलता, प्रेम, वांछित, विशेष, खुशी –– ये कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो सेक्स के समय लोगों को महसूस होती हैं।"
> लाल किताब, पृष्ठ 12

यह तथ्यपरक और भरोसा पैदा करने वाली सामग्री हैं।

> "सेक्स एक सामान्य और आनन्ददायक गतिविधि है जिसे ज़्यादातर व्यस्क मनुष्य करते हैं।"
> लाल किताब, पृष्ठ 13

> "क्या बड़े होकर मुझे भी सेक्स करना होगा?क्या ये गंदा और विकृत काम नहीं है? अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते तो उसे करने के लिए बाध्य नहीं हैं। सेक्स आनंद की चीज़ है बशर्ते वह इच्छा से किया गया हो। इस वक्त आपको ये अजीब लग रहा होगा परंतु संभव है बाद में आप अपनी राय बदल लें। इसमें कोई हर्ज़ा भी नहीं है। सेक्स अपने आपको और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। यह गंदा या विकृत नहीं होता।"
> लाल किताब, पृष्ठ 17

परंतु यह सामग्री युवाओं को इस बारे में समझदारी देने का प्रयास नहीं करती कि यौनिकता और जेंडर के मामले में जो स्थितियां बनी हुई हैं उनका कारण क्या है। फिर भी, इसमें जेंडर से जुड़े कुछ खास सवालों को इस तरह ज़रूर उठाया गया है कि लोग आसानी से उन्हें समझ सकें।

> क्या आपका / आपकी साथी –
>
> - आपके बारे में सारे फैसले लेता / लेती है?
> - आप क्या पहने और करें, इस बात को तय करता / करती है?
> - हमेशा ये बताता / बताती है कि आपको किससे मिलना या बात करना नहीं चाहिए?
> - आपको हमेशा कमतर / कमज़ोर महसूस कराता / कराती है?
> - आपको अपमानित करता / करती है?
> - आपको यह अहसास कराता / कराती है कि आप बेवकूफ हैं या पागलपन के रास्ते पर जा रहे हैं?
> - आपको एक वस्तु की तरह देखता / देखती है?
> - आपको रूढ़ छवियों के अनुसार जीने के लिए बाध्य करता / करती है?
> - हमेशा आपसे सफाई मांगता / मांगती है लेकिन खुद जवाब नहीं देता / देती?
> - आपके साथ हिंसा की धमकी देता / देती है या हिंसा करता / करती है?
> - खामोशी या धमकियों के ज़रिये आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता / करती है?
>
> यदि इनमें से कोई भी चीज़ या कई चीज़ें नियमित रूप से आपके साथ हो रही हैं तो आपको अपने संबंधों के बारे में तेज़ी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। यह सिलसिला जितना लंबा चलेगा, मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी।
>
> नीली किताब, पृष्ठ 16

3.2.3 | यूनीसेफ और नाको द्वारा तैयार की गई प्रतिबंधित सामग्री की समीक्षा[22]

यूनीसेफ/नाको की विवादास्पद सामग्री की समीक्षा से पता चलता है कि यह सामग्री भी अन्य नई सामग्रियों से मिलती–जुलती ही है। (इस सामग्री के परिवर्तित रूप का ड्राफ्ट 2008 में लिखा गया, जिस पर कई संगठनों की सम्मिलित टिप्पणी परिशिष्ट–1 में दी गई है।)

परंतु उसमें कुछ महत्वपूर्ण फर्क भी दिखाई देते हैं :

- चित्र ज़्यादा बारीकी और खुले रूप से विवरण करते हैं।
- सेक्स के बारे में ज़्यादा जानकारियां दी गई हैं। मसलन, कॉन्डोम का इस्तेमाल कैसे करें। गुदामैथुन ऑरगैज़्म/चरमसुख जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है।
- एचआईवी और एड्स पर अन्य नई सामग्रियों से भी ज़्यादा ज़ोर है।

समीक्षा के लिए चुनी गई अन्य सामग्रियों के साथ समानता इस प्रकार थी :

- यौनिकता को या तो जननांगों पर केंद्रित कर दिया गया है या यौनेच्छा को नियंत्रित करने पर ज़ोर दिया गया है। कामना, आनंद और आत्माभिव्यक्ति जैसे यौनिकता के अन्य सभी आयामों की उपेक्षा की गई है।
- इसमें अनसुलझे और भ्रामक संदेश भी दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर, इसमें समलैंगिकता को सामान्य तो बताया गया है परंतु विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का बार–बार ज़िक्र किया गया है। इस सामग्री में निहित अंतर्विरोधों का एक और उदाहरण यह है कि इसमें विवाह से पहले संयम बरतने को आदर्श स्थिति बताया गया है लेकिन उसमें कॉन्डोम के इस्तेमाल से संबंधित जानकारियां भी विस्तार से दी गई हैं।
- किशोर–किशोरियों को राष्ट्रीय नैतिकता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि वे यौनिक रूप से गैर ज़िम्मेदार और विकृत हो सकते हैं। इस सामग्री में किशोर–किशोरियों की 'गंदी आदतों' पर भी ज़ोर दिया गया जो युवावस्था में भी बनी रहती हैं। इस सामग्री के मुताबिक, मादक पदार्थों का सेवन, डिप्रेशन, हिंसा, दुर्घटनाएं, यौन लालसा आदि पथभ्रष्ट किशोर आचरण के लक्षण हैं जिनसे राष्ट्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों पर बुरा असर पड़ता है। इस सामग्री में शिक्षा व्यवस्था से उम्मीद की गई है कि वह इन मुद्दों को संबोधित करें। लिहाज़ा, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य ज़ोर इस पतन पर अंकुश लगाना है।

22. टीचर्स वर्कबुक, फेसिलिटेटर्स हैंडबुक फॉर ट्रेनिंग पीयर एजुकेटर्स, फेसिलिटेटर्स हैंडबुक फॉर रिफ्रेशर टीचर ट्रेनिंग एण्ड फ्लिप चार्टस्।

भाग चार

सशक्तीकरण करने वाली यौनिकता शिक्षा की ओर

सशक्तीकरण करने वाली यौनिकता शिक्षा की ओर

मौजूदा चुनौतियों के बाद अब हम युवाओं के हितों और ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील तथा अधिकार एवं समता आधारित यौनिकता शिक्षा के अनिवार्य तत्वों पर चर्चा करेंगे। इस हिस्से में सिफारिशों को नज़रिए और क्रियान्वयन, दो भागों में बांट दिया गया है।

4.1 | यौनिकता शिक्षा का नज़रिया – मुख्य सिफारिशें

आयु अनूकुल सूचनाएं मुहैया कराना एक अनिवार्य मार्गदर्शक सिद्वांत होना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा की विषयवस्तु और शैली संबंधित आयु समूह की ज़रूरतों और हितों के अनुरूप हों। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यौनिकता एक जीवन भर चलने वाला अनुभव है और केवल किशोरावस्था से शुरू नहीं होता।

यौनिकता शिक्षा रोगों की रोकथाम के उद्‌देश्य से उपकरणवादी ढंग से संचालित नहीं होनी चाहिए। एचआईवी और एड्स सहित विभिन्न अन्य बीमारियों के बारे में जानकारियां देना तो महत्वपूर्ण है परंतु यह पाठ्‌यक्रम का केवल एक हिस्सा हो सकता है। उसके केंद्र में युवाओं की शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं ही होनी चाहिए। यह सामग्री विद्यार्थियों के प्रति सम्मान के भाव से तैयार की जानी चाहिए। युवाओं को ऐसे संदेशों का निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं है जो उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं।

एचआईवी और एड्स पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर का सिर्फ यही नतीजा नहीं होता कि ये विषय पाठ्‌यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा घेर लेते हैं बल्कि शायद इससे भी महत्त्वपूर्ण नतीज़ा यह होता है कि जोखिमपूर्ण व्यवहार में बदलाव लाने का अजेंडा पाठ्‌यक्रम के नज़रिए को गढ़ता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई मौजूदा सामग्री की समीक्षा करने पर पता चलता है कि व्यवहार में बदलाव पर ज़ोर देने के साथ–साथ उनमें एक भयजनक, प्रबंधकीय, नैतिकतावादी और नियंत्रणकारी नज़रिया अपनाया जा रहा है।

यौनिकता शिक्षा भय पर आधारित और उपदेशात्मक नहीं होनी चाहिए। भय आधारित रवैया निश्चित रूप से नुकसानदेह रहता है। यदि कोई सामग्री या पद्धति विद्यार्थियों में भय पैदा करने की कोशिश करता है तो यह शिक्षा के बुनियादी सिद्वांत –– विद्यार्थी के प्रति सम्मान –– का हनन है। डर की वजह से विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले पाते। यदि उद्देश्य केवल व्यवहार में बदलाव लाने तक ही सीमित है तो भी भय आधारित रवैये से ऐसा बदलाव नहीं लाया जा सकता।

'जोखिमपूर्ण व्यवहार' में बदलाव के एजेंडा पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर की वजह से पाठ्‌यक्रम सीखने वालों को नियंत्रित और अनुशासित करने का प्रयास करने लगता है। यह प्रबंधन (मैनेजमेन्ट) –केंद्रित पद्धति है।

ऐसा पाठ्यक्रम इस मान्यता के अनुसार चलता है कि चाहे समय हो या गुस्सा, हर चीज़ को संभाला जाना चाहिए। प्रबंधकीय पद्धति को एचआईवी और एड्स एजेंडा के परे भी समझा जाना ज़रूरी है। किशोर–किशोरियों से उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ उनके नियंत्रण में है वे उसे 'प्रतिबंधित' करें और जो नहीं बदला जा सकता उसे छोड़ दें। यह शिक्षा की उस रूपांतरकारी दृष्टि के विरुद्ध है जो सामाजिक यथार्थ की विवेचनात्मक समझ विकसित करने में मदद देती है और विद्यार्थियों को अन्याय पर सवाल उठाने की क्षमता प्रदान करती है। प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन केंद्रित पद्धति व्यक्तिगत अधिकारों को साकार करने की ज़िम्मेदारी भी सामाजिक संस्थाओं की बजाय खुद व्यक्ति के ऊपर डाल देती है।

इससे सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह के जीवन–कौशल की बात करना चाहते हैं और उसके पीछे हमारा मकसद क्या है?यदि जीवन–कौशल का मकसद अनुशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना है तथा केवल 'भारी जोखिम' कहे जाने वाले व्यवहार को बदलना है तो इस तरह के जीवन–कौशल की ज़रूरत ही क्या है? इसकी बजाय, ज़रूरत इस बात की है कि यौनिकता शिक्षा का एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो युवाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से यौनिकता के मुद्दों को मुकम्मल तौर पर संबोधित करे।

यौनिकता शिक्षा युवाओं के सूचना के अधिकार पर आधारित होनी चाहिए। यूनीसेफ और नाको द्वारा तैयार की गई प्रतिबंधित सामग्री के बारे में पैदा हुए विवाद की वजह से इस अधिकार का निषेध नहीं किया जा सकता। ज़रूरत केवल इस बारे में पुनर्विचार करने की है कि खास तरह की सूचनाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सूचनाएं उपलब्ध कराने के विकल्प पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा मानना है कि इस सामग्री में यौनांगों एवं प्रजनन तंत्र की बनावट और शरीर विज्ञान, गर्भनिरोध, हस्तमैथुन आदि के बारे में सूचनाएं ज़रूर होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन गलतफहमी से युवाओं को बहुत नुकसान होता है।

इस सामग्री में दी जाने वाली सूचना गुमराह करने वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह सूचना मौजूदा सामाजिक मान्यताओं से तय हो रही है इसलिए उसके ज़रिए जो संदेश दिए जाते हैं उनमें सूचनाओं के विकृत होने का खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए, मौजूदा सरकारी सामग्रियों में संयम पर जितना ज़ोर दिया गया है उससे यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि वैवाहिक संबंधों में सेक्स से एचआईवी संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है जबकि सच ये है कि हमारे देश में एचआईवी संक्रमण सबसे ज़्यादा वैवाहिक संबंधों के भीतर ही फैलता है।

यौनिकता शिक्षा की पद्धति अपने बारे में सकारात्मक बोध पैदा करने वाली और यौनिकता के प्रति सकारात्मक रवैये पर आधारित होनी चाहिए। हमारे जीवन के अन्य आयामों की तरह यौनिकता के भी सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों आयाम होते हैं। लिहाज़ा हम केवल नकारात्मक आयामों पर ज़ोर नहीं दे सकते क्योंकि ऐसी स्थिति में यौनिकता के एक विस्तृत आयाम को नकारा जाएगा। केवल सकारात्मक रवैया अपनाने से ही युवा अपने साथ होने वाले अन्याय और अधिकारों के हनन को रोक सकते हैं। शरीर और यौनिकता के बारे में शर्मिंदगी का भाव पैदा करने वाली नैतिकतावादी सोच बच्चों और किशोर–किशोरियों को अपने साथ होने वाली गलत हरकतों को पहचानने और उनके बारे में बात करने से रोक देती है। यहां तक कि बच्चे और किशोर–किशोरियां यौन उत्पीड़न के बारे में भी मुंह खोलने से डरते हैं।

यौनिकता शिक्षा का फ्रेमवर्क समता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक विश्लेषण वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम के ज़रिए यौनिकता के बारे में भी उसी तरह समझ विकसित की जानी चाहिए जिस तरह कुछ सामग्रियों में जेंडर के बारे में समझाया गया है। इसके लिए समाजीकरण की संरचनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में समझाया जाना चाहिए जिनकी वजह से भेदभाव और अन्याय पैदा होता है। जेंडर की तरह यहां भी कोशिश यह होनी चाहिए कि युवाओं को इस बात का अहसास कराया जाए कि वर्चस्व और नियंत्रण की ताकतों के बावजूद परिवर्तन संभव है। यौनिकता शिक्षा को मौजूदा पूर्वाग्रहों को पुष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि विद्यार्थियों को उन पर सवाल खड़ा करने की ताकत देनी चाहिए। सामाजिक विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केवल इस विश्लेषण के आधार पर ही युवा ऐसे रवैये को चुनौती दे सकते हैं जो –

एक महिला को यह बताता है कि उसे अपने पति से कॉन्डोम का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहना चाहिए।

जो एचआईवी और एड्स के लिए सेक्स वर्कर्स और समलैंगिकों को ही ज़िम्मेदार ठहराता है।

जो 'औरताना' गुणों वाले लड़कों को लगातार हंसी का पात्र बनाता है।

जो यौन हिंसा की शिकार लड़की को ये कहता है कि 'उसी ने ऐसा चाहा होगा।'

'ना कहना सीखें' जैसे नारों को ही दोहराते रहना काफ़ी नहीं बल्कि उनसे आगे जाकर इस बात की व्याख्या की जानी चाहिए कि हिंसा क्यों होती है। भला कोई बच्चा या कोई वयस्क 'ना' कैसे कह सकता है जबकि उसे हमेशा यही सिखाया गया है कि वयस्क/पति/पिता/समाज जो भी कहता है वह सही है। पाठ्यक्रम में ऐसे मौजूदा कानूनों और दिशानिर्देशों की भी जानकारी दी जानी चाहिए जिनके आधार पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, यौन हिंसा और हानिकारक रैगिंग जैसी घटनाओं को संबोधित किया जा सकता है। यदि शिक्षा का मकसद युवाओं को लोकतंत्र, समता और न्याय के मूल्यों की समझ प्रदान करना है तो जेंडर और यौनिकता की बारीकियों की गहरी समझ बहुत ज़रूरी हो जाती है। यह समझदारी जाति, धर्म, विकलांगता तथा वयस्कों और बच्चों के बीच सत्ता संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।

हाशियाकरण के मुद्दे सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे मुद्दों का महत्व केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे होते हैं। इसकी दो वजहें हैं: एक तो ये कि हममें से सभी जीवन के किसी न किसी

बिंदु पर ऐसी चीज़ों से सीधे प्रभावित होते हैं। विकलांगता से जुड़े अधिकारों पर काम करने वाले एक्टिविस्ट गैर–विकलांगों को टैब्स – टैम्प्रेरीली एबल्ड बॉडीड – कहते हैं। यह संबोधन इस मान्यता पर आधारित है कि विकलांगता किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हो सकती है। समलैंगिक चाह और जेंडर ट्रांसग्रैशन के मुद्दों के संदर्भ में क्वीयर[23] एक्टिविस्ट लोगों का मानना है कि हम जेंडर और यौन इच्छाओं को जिस तरह अनुभव करते हैं वह न तो प्राकृतिक होता है और न ही स्थायी होता है। उदाहरण के लिए, जहां तक यौनिकता की बात है, हम किसकी ओर आकर्षित होते हैं, यह समाजीकरण की प्रक्रियाओं से भी प्रभावित रहता है। यानी, संभव है आज कोई व्यक्ति केवल विपरीत लिंग के प्रति ही आकर्षण महसूस करता/करती हो परंतु संभव है कि बाद में वह समान लिंग वाले या दोनों तरह के व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होने लगे। लिहाज़ा, विकलांगता की तरह समलैंगिकता, द्विलैंगिकता या विषमलैंगिकता जैसी कोई स्थायी श्रेणियां नहीं होतीं।

यौनिकता शिक्षा के ज़रिए 'सामान्य' (नॉरमल) और 'प्राकृतिक' जैसे विचारों को पुष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यौनिकता शिक्षा इस समझदारी पर आधारित होनी चाहिए कि जेंडर की तरह यौनिकता ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के सभी आयाम सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। 'प्राकृतिक' और 'स्वाभाविक' जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्राकृतिक और सामान्य क्या होता है, इस आशय के विचार दरअसल समाज में मौजूद सत्ता असमानताओं को ही बनाए रखने का साधन होते हैं। इनकी वजह से ऐसे लोगों के साथ भेदभाव और उनका हाशियाकरण होने लगता है जिन्हें 'असामान्य' या 'अस्वाभाविक' माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सामान्य देह का मतलब सक्षम देह से है तो विकलांगों को हाशिये पर ढकेल दिया जाता है। यदि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच आकर्षण को ही सामान्य माना जाता है तो बाकी सभी तरह के आकर्षणों को अप्राकृतिक घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार की कामना या चाह रखने वालों को उत्पीड़ित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि 'प्राकृतिक' देह और 'स्वाभाविक' चाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दरअसल कुछ भी प्राकृतिक या सामान्य नहीं होता।

यौनिकता शिक्षा जीवन के यथार्थ पर आधारित और विविधताओं को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए। यौनिकता शिक्षा में शहरी–ग्रामीण, धार्मिक, विकलांगता, जेंडर, यौन रुझान आदि के लिहाज़ से युवाओं के जीवन में मौजूद विविधता को रेखांकित और प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि सभी युवा शहरी, संपन्न, सक्षम देह वाले, और लड़के के रूप में पैदा होने पर अनिवार्य रूप से मर्दाना या लड़कियों के रूप में पैदा होने पर अनिवार्य रूप से लड़कियों जैसे होते हैं, या सभी युवा केवल विपरीत लिंग की ओर ही आकर्षित होते हैं तो यह यथार्थ को विकृत करने वाली बात होगी। ऐसे में सामाजिक सच्चाई की ये तस्वीर बुनियादी तौर पर गलत ही होगी। दूसरी बात यह है कि अगर पाठ्यक्रम में ऐसी मान्यताओं को जगह दी जाती है तो वह ऐसे लोगों को हाशिए पर ढकेल देगी जो इन निर्धारित श्रेणियों में नहीं आते। इससे पाठ्यक्रम में प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार का ही नहीं बल्कि सीखने से संबंधित उनकी ज़रूरतों का भी हनन होगा।

23. क्वीअर शब्द का इस्तेमाल यौनिकता और जेंडर के लिहाज़ से मौजूद विविधता को मान्यता देने वाले नज़रिये के लिए किया जाता है। यह नज़रिया यौनिकता से संबंधित मौजूदा सामाजिक कायदे–कानूनों को सत्ता की संरचनाओं और विचारधाराओं से जुड़ा हुआ मानता है और उनकी विवेचना करता है। क्वीअर शब्द भी नारीवादी शब्द जैसा ही है क्योंकि इसमें भी एक खास नज़र से और अनिवार्य तौर पर सत्ता संबंधों का विश्लेषण करते हुए यथार्थ को समझने और एक दृष्टिकोण को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। क्वीअर शब्द उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो समलैंगिक आकर्षण रखते हैं या ट्रांसजेंडर हैं।

भाषा के लिहाज़ से भी 'प्राकृतिक' और 'सामान्य' जैसे शब्दों से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी भाषा उपदेशपरक दिखाई देती है। कई स्थानों पर 'लड़का' या 'लड़की' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है जिससे लड़कों और लड़कियों के विशिष्ट अनुभवों को रेखांकित किया जा सके परंतु शेष पाठ में जेंडर–तटस्थ (न्यूट्रल) भाषा का ही प्रयोग उचित रहेगा जिसमें 'लड़का' या 'लड़की' न इस्तेमाल करें। इससे जो ट्रान्स जेन्डर हैं उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा। 'आकर्षण' शब्द के साथ 'विषम लैंगिक' या 'विपरीत लिंग के प्रति' जैसे शब्दों को जोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।

यौनिकता शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्वाग्रह मुक्त और सहभागी पद्धति का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यौनिकता शिक्षा के सहारे युवाओं को बहस और संवाद का मौका मिलता है और उन्हें झुंड की तरह हांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस शिक्षा को स्वतंत्र चिंतन, विवेचनात्मक सोच, संवेदनशीलता और सहमर्मिता की परिधि बनाया जा सकता है। अभी यौनिकता को जिस तरह की नैतिकतावादी दृष्टि से देखा जाता है उससे बचने के लिए एक सामाजिक विश्लेषण के फ्रेमवर्क की दिशा में बढ़ना ज़रूरी है। विद्यार्थी सवाल पूछने में न हिचकिचाएं – यह सुनिश्चित करने के लिए भी नैतिकता–मुक्त रवैया आवश्यक होता है।

यौनिकता शिक्षा के लिए एक अनुकूल नीतिगत परिवेश की ज़रूरत होती है। इसके लिए निम्नलिखित कानूनी सुधार आवश्यक हैं :

- भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त किया जाए जो वयस्कों के बीच सहमति आधारित यौन गतिविधियों को भी अपराध मानती है और जिससे समलैंगिक चाह रखने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है।
- बाल यौन उत्पीड़न के बारे में विशेष कानून बनाया जाए।
- वैवाहिक संबंधों में बलात्कार को अपराध माना जाए।

4.2 | क्रियान्वयन से संबंधित मुख्य सिफारिशें

मूल स्कूली पाठ्यक्रम में यौनिकता शिक्षा को शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क तय करने के वास्ते सरकार को एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करना चाहिए। चूंकि यौनिकता शिक्षा पाठ्यक्रम का एक नया पहलू है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में इसे शामिल करने के लिए गंभीर तैयारी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) इस तरह की कमेटी का सबसे अच्छी तरह संचालन कर सकती है क्योंकि उसे देश के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है, वह स्वायत्त है और गैर–सरकारी व्यक्तियों तथा नागर समाज संगठनों के साथ काम करने का उसके पास अनुभव रहा है। कमेटी को ये काम करने चाहिए :

- यौनिकता शिक्षा के नज़रिए की रूपरेखा तय करना।
- अलग–अलग आयु समूह के हिसाब से यौनिकता शिक्षा के दायरों को मोटे तौर पर चिह्नित करना।
- शिक्षकों की तैयारी की रूपरेखा तय करना।
- यौनिकता शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले पद्धति के बारे में दिशा–निर्देश तय करना।

यौनिकता शिक्षा की पद्धति और विषयवस्तु के बारे में एनसीईआरटी को एक राष्ट्रीय सहमति विकसित करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर सीमित संशोधनों के बाद राज्य स्तरीय एससीईआरटी संस्थाओं को उसे अपनाना चाहिए।

इस कमेटी को यौनिकता शिक्षा के लिए एक अल्पकालिक रणनीति के साथ–साथ दीर्घकालिक रणनीति पर भी काम करते रहना चाहिए। अल्पकालिक रणनीति पर विचार करते हुए विभिन्न राज्यों में यौन शिक्षा सामग्री पर लगी पाबंदी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की पाबंदी यौनिकता शिक्षा से संबंधित मौजूदा चुनौतियों को हल करने का तरीका नहीं हो सकती।

पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क विकसित करने की प्रक्रिया में ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास जेंडर/यौनिकता और किशोरावस्था के मुद्दों पर काम करने यौनिकता शिक्षा को युवा केंद्रित, समतापरक और न्यायपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया ऐसे लोगों की देखरेख में चले जिनके पास इन विषयों की उचित समझ और विशेषज्ञता है। ये भी ज़रूरी है कि विशेषज्ञता को परिभाषित किया जाए। इस क्षेत्र में अकसर मनोवैज्ञानिकों, डाक्टरों, एचआईवी और एड्स पर काम करने वाले कंसल्टेंट्स या ऐसे शिक्षाविदों को विशेषज्ञ मान लिया जाता है जिनके पास प्रायः जेंडर या यौनिकता पर काम करने का कोई अनुभव नहीं होता है। विशेषज्ञता को इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोगों के दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर आंका जाना चाहिए। जेंडर आधारित न्याय और यौन अधिकारों का नज़रिया यौनिकता शिक्षा पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तय करने वालों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इस प्रक्रिया में ऐसे विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो हाशियाई यौनिकताओं यानी समलैंगिक आकर्षण, विकलांगता और जेंडर ट्रांसग्रेशन जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में नारीवादी दृष्टिकोण रखने वाले महिला संगठनों और महिला अध्ययन केंद्रों की प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अनुसंधान और एक्टीविज़्म के क्षेत्र में उनके अनुभवों से यौनिकता शिक्षा पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और नज़रिया विकसित किया जा सकता है। जेंडर और यौनिकता के बीच नज़दीकी संबंधों को देखते हुए भी यह महत्वपूर्ण है। नज़रिए में बदलाव के मामले में महिला संगठनों के पास गहरी समझ और व्यापक अनुभव रहा है इसलिए वे इस प्रक्रिया में काफी मदद दे सकते हैं। लिहाज़ा, उनकी हिस्सेदारी न केवल विषयवस्तु विकसित करने के लिहाज़ से बल्कि पद्धति के लिहाज़ से भी उपयोगी रहेगी।

सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं पर केंद्रित हो। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए भी सामग्री तैयार की जानी चाहिए। किसी भी दूसरे विषय की तरह यौनिकता शिक्षा की सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो सीधे पाठकों को संबोधित करे। शिक्षा के स्वयात्त आयाम भी होते हैं और ऐसे आयाम भी होते हैं जो किसी और पर निर्भर होते हैं। लिहाज़ा ऐसी सामग्री भी बहुत ज़रूरी है जिसे विद्यार्थी खुद प्रयोग कर सकें।

विकलांग लोगों के मामले में विशेष तकनीकों से सामग्री तैयार करना ज़रूरी हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें और अपेक्षाएं अलग तरह की हो सकती हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि विकलांगता कई तरह की होती है और ऐसे युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्रम में ब्रेल, ऑडियो–विज़ुअल सहायता आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

चाहे स्कूली पाठ्यक्रम हो या गैर–स्कूली बच्चों के सीखने के लिए कोई और परिधि हो, यौनिकता शिक्षा उसके पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। यौनिकता शिक्षा को एक 'अतिरिक्त विषय' के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि शिक्षाविद् यह मानते हैं कि यौनिकता शिक्षा एक अधिकार है जो युवाओं को ज़रूर मिलना चाहिए तो इसमें केवल सांकेतिक कोशिशों से काम चलने वाला नहीं है। जब तक यौनिकता शिक्षा को पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तब तक उसे उचित संसाधन नहीं मिलेंगे और उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए इसे पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जाना ज़रूरी है।

सघन शिक्षक प्रशिक्षण तथा अन्य लोगों का क्षमतावर्द्धन ज़रूरी है। यौनिकता और जेंडर ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बड़े पैमाने पर वयस्कों को भी सीखने और भुलाने की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। जो लोग स्कूली व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनके साथ–साथ युवाओं के बीच काम करने वाले अन्य लोगों, जैसे स्वास्थ्यकर्मी, आदि का भी क्षमतावर्द्धन आवश्यक है। समाजीकरण की मौजूदा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप यौनिकता के मुद्दों पर युवाओं के

साथ संवाद स्थापित करने में कई मुश्किलें आती हैं। लिहाज़ा, शिक्षा देने वालों को

- सूचनाओं से लैस होना चाहिए।
- यौनिकता संबंधी सूचना देने में सहज महसूस करना चाहिए।
- नैतिकता से मुक्त होना चाहिए।
- यौनिकता के क्षेत्र में समता और न्याय की समझ और उसके प्रति समर्पण होना चाहिए।

स्कूली व्यवस्था के लिए सिफारिशें :

- सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को यौनिकता के मुद्दों पर बुनियादी ओरिएंटेशन की ज़रूरत है।
- यौनिकता शिक्षा देने वाले शिक्षकों को सघन इनपुट्स की ज़रूरत है। ये इनपुट्स इस मान्यता पर आधारित होने चाहिए कि यौनिकता शिक्षा भी शिक्षा का एक अंग है जिसके लिए अन्य विषयों की तरह विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है।
- यौनिकता शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इसके लिए मौजूदा बी.एड. और डी.एड. पाठ्यक्रमों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए और उनमें आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को आवश्यक संसाधन या सहायता दी जानी चाहिए जिससे वे शिक्षकों को यौनिकता शिक्षा कार्यक्रमों के लिए तैयार कर सकें।
- खासतौर से शुरुआती चरण में शिक्षा व्यवस्था को ऐसे लोगों की दक्षता से लाभ उठाना चाहिए जो मौजूदा व्यवस्था से बाहर हैं ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और स्कूली व्यवस्था की क्षमता बढ़ायी जा सके। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यौनिकता अधिकार संगठनों और महिला संगठनों की हिस्सेदारी अनिवार्य है।

परिशिष्ट–1

नाको द्वारा तैयार की गई किशोरावस्था शिक्षा (संशोधित) सामग्री पर प्रेस वक्तव्य (7 अगस्त, 2008)

युवा संगठनों, शिक्षाविदों, बाल यौन उत्पीड़न पर सक्रिय संगठनों, यौन अधिकार संगठनों, विकलांगता अधिकार संगठनों और महिला संगठनों की मांग है कि यौनिकता शिक्षा के बारे में एक ऐसा रवैया अपनाया जाए जो सूचना और युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित हो। हम नाको द्वारा तैयार किए गए संशोधित किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को कड़े शब्दों में खारिज करते हैं। प्रस्तावित पाठ्यक्रम में जो रवैया अपनाया गया है वह देश के युवाओं के अधिकारों की उपेक्षा पर आधारित है।

नाको द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में संयम पर ज़ोर दिया जा रहा है। यहां तक कि यह पाठ्यक्रम प्रजनन के जैविक आयामों पर भी खामोश है। गर्भधारण के अध्याय में भीतरी जैविक तंत्र का तो उल्लेख किया गया है लेकिन संभोग का कहीं ज़िक्र तक नहीं है। यौन संभोग को केवल "अंतरंग शारीरिक संबंध" कह कर प्रस्तुत किया गया है। जब तक यह नहीं बताया जाएगा कि गर्भधारण किस चीज़ से होता है तब तक यह पाठ्यक्रम किशोरावस्था गर्भधारण के मुद्दे को संबोधित करने में भी सफल नहीं हो पाएगा जबकि इसे प्रस्तुत पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है।

सेक्स और यौनिकता के इर्द–गिर्द फैले शर्मिंदगी और भय के अहसास को यह सामग्री और पुष्ट करती है। सेक्स के बारे में बात न करने से इसके इर्द–गिर्द जमे पूर्वाग्रह खत्म होने की बजाय और गहरे हो जाते हैं। यह पाठ्यक्रम युवाओं को 'हां' और 'नहीं' के बीच चुनने की क्षमता प्रदान करने में विफल दिखाई देता है। बाल यौन उत्पीड़न के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जानते हैं कि जब तक बच्चे यौनिकता के सवालों पर सहज और आत्मविश्वास का भाव महसूस नहीं करते तब तक वे अपने साथ होने वाले उत्पीड़न को समझने और उसके बारे में मुंह खोलने का साहस नहीं जुटा पाते हैं।

हमारा मानना है कि केवल संयम से एचआईवी/एड्स रोकथाम का लक्ष्य भी हासिल होने वाला नहीं है। नैतिक उपदेशों से व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस महामारी से निपटने का एकमात्र रास्ता यह है कि लोगों को इसके बारे में मुकम्मल जानकारी दी जाए। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एचआईवी और एड्स के एजेंडा पर केंद्रित यह पाठ्यचर्या इस बिंदु पर पूरी तरह नाकाम दिखाई देती है। यह पाठ्यचर्या युवाओं को सूचना का अधिकार नहीं देना चाहती। इसमें एचआईवी रोकथाम के सवाल को टीचर्स वर्कबुक में जिस तरह से उठाया गया है वह बेहद नाकाफी है। इसमें बताया गया है कि एचआईवी संक्रमण के 86 प्रतिशत मामले

यौन संबंधों के कारण रहे हैं परंतु पाठ्यचर्या में इस बात की बहुत मामूली समझ दी गई है कि यौन संक्रमण किस तरह होता है और इस तरह के संक्रमण से अपना बचाव कैसे किया जा सकता है। यदि आप ये नहीं बताते हैं कि सेक्स क्या होता है तो यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यौन संबंधों से एचआईवी कैसे फैलता है। यह पाठ्यक्रम युवाओं को अंधेरे में ले जाकर छोड़ देता है। इसमें सिर्फ यह ज़िक्र किया गया है कि एचआईवी यौन संबंधों से फैलता है। उसमें यह नहीं बताया गया है कि यह यौन संबंधों से कैसे और क्यों फैलता है। यौन गतिविधियों के दौरान एचआईवी से बचाव के बारे में सूचनाएं भी नहीं हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है।

यह सामग्री निराधार मान्यताओं पर टिकी है। यह सामग्री इस मान्यता पर आधारित है कि सभी युवा सक्षम देह वाले, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करने वाले होते हैं और लड़कों के रूप में पैदा होने वाले हमेशा लड़कों/पुरुषों की तरह जबकि लड़कियों के रूप में पैदा होने वाली हमेशा महिलाओं/लड़कियों की तरह व्यवहार करती हैं। युवाओं के बीच मौजूद इस तरह की विविधता के बारे में इस दस्तावेज़ में सिर्फ सतही चर्चा दिखाई देती है। विविधता के मुद्दों को न संबोधित करना खतरनाक है। इससे रूढ़ छवियों और कसौटियों पर खरे नहीं उतरने वाले युवाओं के साथ होने वाले भेदभाव और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा मिलेगा।

यह पाठ्यक्रम शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। किसी भी पाठ्यक्रम के केंद्र में सबसे पहले विद्यार्थियों की ज़रूरतों को होना चाहिए। नाको द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में सिर्फ यह चिंता दिखाई देती है कि एचआईवी और एड्स की रोकथाम के लिए 'शादी तक संयम' बरतना ज़रूरी है। 'जोखिम भरे व्यवहार' को नियंत्रित करने के चक्कर में यह पाठ्यक्रम युवाओं को इस बात की जानकारी भी नहीं देता कि सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। इसकी बजाय यह सामग्री युवाओं को अनुशासित करने की कोशिश करती है ताकि वे कड़े सामाजिक और नैतिक कायदे–कानूनों का पालन करने लगें। शिक्षा का एक मकसद यह होता है कि सीखने वाले अपनी परिस्थितियों की एक विवेचनात्मक समझ हासिल करें और सोच–समझ कर फैसले लें। इस लिहाज़ से, प्रस्तुत पाठ्यक्रम में गहरे अंतर्विरोध हैं।

इसमें निहित यह आशंका निराधार है कि सेक्स और यौनिकता के मुद्दों को संबोधित करने वाले पाठ्यक्रम से युवाओं के बीच यौन गतिविधियां बढ़ जाएंगी।

भारतीय युवा पहले ही काफी यौन सक्रिय हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 और 3 के अनुसार –

- एक चौथाई से ज़्यादा भारतीय महिलाओं का विवाह 15 साल से पहले हो चुका था; आधी से ज़्यादा महिलाओं की उम्र शादी के समय 18 साल से कम थी।[1]

- 20 प्रतिशत महिलाएं 15 साल की उम्र से पहले संभोग कर चुकी थीं और 55 प्रतिशत महिलाएं 18 साल की उम्र से पहले संभोग कर चुकी थीं।[2]
- 15–19 साल की प्रत्येक 6 में से एक महिला मां बन चुकी थीं।[3]

दुनिया भर में हुए अनुसंधानों से पता चलता है कि यौन शिक्षा के कारण यौन सक्रियता की उम्र में कमी नहीं आती।[4] यह साबित करने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि संयम पर ज़ोर देने वाले पाठ्यक्रम के कारण युवा देर से यौन संबंध बनाते हैं।[5]

नाको द्वारा तैयार की गई सामग्री युवाओं की जीवन परिस्थितियों से दूर है। 1996 से सक्रिय दिल्ली स्थित एनजीओ 'तारशी' ने एक टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा शुरू की हुई है जिस पर यौनिकता और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी, काउंसिलिंग और रेफरल सलाह दी जाती है। इस टेलीफोन पर बात करने वालों के बारे में पूरी गोपनीयता बरती जाती है। इस दौरान आई 60,000 से भी ज़्यादा कॉल्स में से अगर केवल कुछ उदाहरणों को ही लिया जाए तो साफ हो जाता है कि नाको की सामग्री युवाओं की ज़रूरतों को संबोधित करने में कितनी अधूरी है :

- 18 साल की एक लड़की ने फोन करके पूछा कि क्या चुम्बन/किसिंग से गर्भ ठहर सकता है?
- 18 साल के एक लड़के ने फोन पर बताया कि उसे अपने अंड–कोश में गांठ जैसी महसूस हो रही है परंतु वह इस बारे में अपने माता–पिता से बात नहीं कर सकता।
- असंख्य कॉलर्स ने पूछा है कि क्या चुंबन लेने, साथ खाना खाने या स्तन चूसने से भी एचआईवी हो सकता है?

ज़ाहिर है कि नाको ने इससे पहले जो पाठ्यक्रम तैयार किया था। उस पर हुए हमले की वजह से अब नाको सेक्स और यौनिकता का किसी भी मामले में ज़िक्र नहीं करना चाहता। परंतु पिछली सामग्री की आलोचना के आधार पर यौनिकता शिक्षा के बारे में युवाओं के शिक्षा अधिकार के निषेध को सही नहीं ठहराया जा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि यौनिकता शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति तैयार की जाए और पूरे देश में किशोरावस्था शिक्षा/जीवन–कौशल शिक्षा पाठ्यक्रम को उसी के आधार पर विकसित किया जाए। इस तरह की प्रक्रिया में युवा संगठनों, शिक्षाविदों, बाल यौन–उत्पीड़न पर काम करने वाले संगठनों, यौन अधिकार संगठनों, विकलांगता अधिकार संगठनों और महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि युवाओं को यौनिकता के बारे में ऐसी शिक्षा प्रदान करना ज़रूरी है जो उन्हें –

- बाल यौन उत्पीड़न की आशंका से बचाए।
- जिसके सहारे वे स्वस्थ रह सकें और एचआईवी सहित विभिन्न अन्य यौन संक्रामक बीमारियों से अपना बचाव कर सकें।
- अपने व्यक्तित्व और अपनी देह के बारे में सहज और आत्मविश्वास से भरा महसूस कर सकें।
- अपने अधिकारों को समझ सकें तथा औरों के अधिकारों को सम्मान दे सकें।

1. जिन महिलाओं से साक्षात्कार लिए गए उनकी उम्र 20 से 49 साल के बीच थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, खंड 2, पृष्ठ 212, 2007
2. जिन महिलाओं से साक्षात्कार लिए गए उनकी उम्र 20 से 49 साल के बीच थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, खंड 2, पृष्ठ 217, 2007
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, खंड 2, पृष्ठ 33, 2007
4. डब्ल्यूएचओ तकनीकी रिपोर्ट सीरिज, प्रिवेंटिंग एचआईवी/एड्स इन यंग पीपुल : ए सिस्टेमैटिक रिव्यू ऑफ दि एवीडेंस फ्रॉम डिवेलपिंग कंट्रीज़, सं. 938, 2006
5. मैथेमेटिका पॉलिसी रिसर्च इनकोरपोरेटिड, "इम्पैक्ट्स ऑफ फोर टाइटल V, सेक्शन 510 एबस्टिनेंस प्रोग्राम्स, फाइनल रिपोर्ट", अप्रैल 2007 http://www.mathematica-mpr.om/publications/PDFs/impactabstinence.pdf

निरंतर शिक्षा के ज़रिए औरतों के सशक्तीकरण के लिए कार्यरत है। जानकारी और साक्षरता तक पहुँच बढ़ाना, शिक्षा की प्रक्रियाओं में जेन्डर के आयाम मज़बूत करना – ये हमारे काम के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

समुदाय के बीच काम, शैक्षणिक संदर्भ सामग्री निर्माण, शोध, पैरवी और प्रशिक्षण के द्वारा निरंतर अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ता है।

निरंतर महिला आन्दोलन और अन्य जनतान्त्रिक अधिकारों से जुड़े आन्दोलनों का हिस्सा है। निरंतर इन आन्दोलनों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को अपने शिक्षा के काम में शामिल करने का प्रयास करता है।

निरंतर की शुरुआत 1993 में हुई।

निरंतर : जेन्डर और शिक्षा संदर्भ समूह
बी-64, दूसरी मंज़िल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-110017 फोन : (91-11) 2-696-6334, फैक्स : (91-11) 2-651-7726 ई-मेल : nirantar@vsnl.com, वेबसाइट : www.nirantar.net